Clause 1, *the Enacting Formula, and the Title were added to the Bill.*

SHRI M. M. JACOB: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Before the Minister of State for Home Affairs makes a statement about the incident of Police firing in Bhilai, I would like to take the sense of the House about clarifications on the Railway Minister's statement.

SOME HON. MEMBERS: That should be tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): All right. Now, the Home Minister.

STATEMENT BY MINISTER— Incident of police firing in Bhilai on Ist July, 1992

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTE OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Sir, I rise to inform the House of the incident of police firing on agitating workers in Bhilai, Madhya Pradesh on the 1st of July, 1992.

According to information received from the State Government about 3,000 men and 300 to 400 women workers owing allegiance to Chhattisgarh Mukti Morcha staged a dharna on the railway track near Power House railway station in Bhilai about 9.15 AM on 1st July, 1992.

The Chhatishgarh Mukti Morcha has been leading a workers' movement in Bhilai area for acceptance of a nine point charter of demands including abolition of contractorship, issues related to wages, bonus, service conditions etc. and reinstatement of retrenched workers. With the exception of the demand for reinstatement of retrenched workers, agreement on the other demands had been reached in a series of meetings held in the month of June, 1992. Further discussions on the demand for reinstatement were scheduled to be held on 1st July, 1992 with the officers of the labour department when the workers staged this dharna and indicated that it would continue till their demands were met.

Because of the dharna by the workers, the rail traffic on this route remained suspended for about eight hours. The railway authorities made repeated requests to the administration to help restore the traffic. Efforts by the Disrict Administration to persuade the workers to end the dharna did not succeed. The workers insisted on the fulfilment of their demands before clearing the rail track. There were stray incidents of pelting of stones during the day. Prohibitory orders under Section 144 Cr. P.C. were promulgated in the affected areas from 2 PM.

In view of the stone pelting, the Additional District Magistrate present on the spot issued a warning at about 4.45 PM to the workers to disperse. When the warning had no effect, the police force advanced to remove the workers from the track. The women workers started leaving the track but the men started stoning and some of them also attacked the police with sticks. The Sub-Inspector of Police, Shri T. K. Singh was fatally injured in this attack. Many other officers including the Supdt. of Police, Addl. Dstrict Magistrate, Superintendant of Police(City) and Addl-

[Shri M. M. Jacob]

tional Superintendent of Police were hurt. Lathi-charge and bursting of tear gas shells by the police failed to control the situation. In view of the gravity of the situation, firing was ordered after due warning. In the firing 15 workers were killed.

As soon as the situation was brought under control, action was taken to remove the injured from the railway track and admit them to the hospital. Thereafter, dead bodies were also removed immediately to the hospital.

After the removal of injured to the hospital, District Magistrate issued orders for detailed inquiry into the incident. Orders were also issued to pay financial assistance of Rs. 2,000/- each to the next of kin of the killed persons and Rs. 1,000/- each to the injured.

Indefinite curfew was imposed in Cantonment, Jamool, industrial area of old Bhilai and part of Supela police station areas to maintain peace. Prohibitory orders under Section 144 Cr. P.C. were promulgated in Bhilai Bhatti Bhilai city and old Bhilai areas, 13 of the killed have been identified. Last rites of the killed were performed on 3-7-'92. Immediately after the incident, 89 persons were arrested under Section 151 of Cr. P.C. and remanded to police custody. 115 agitators were injured in the lathi-charge, stone-pelting and police firing. 63 injured were admitted to Durg Hospital and 9 injured were admitted to Bhilai hospital. The injured include 6 women. 65 person belonging to the State administration were injured of whom 9 were admitted to the hospital.

The Government of Madhya Pradesh have informed that in addition to the financial assistance ordered by the District Administration, assistance at the rate of Rs. 10,000/- each to the next of kin of those killed and Rs. 1000/- each to the injured has been ordered from the Chief Minister's Relief Fund. Relief of Rs. 10,000/- each to the next of kin of those killed and Rs. 5,000/- each to the injured has also been announced from the Prime Minister's Relief Fund. The State Government has also decided to hold a judicial inquiry into the incident.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): There are 16 Members. Therefore, I would request the Members to ask pointed questions, Mr. Malaviya.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): A Committee called the 'Citizens Committee on Industrial Unrest in Bhilai' toured the Bhilai industrial belt for five days in November, 1991. The Committee comprised of (1) Shri D. S. Tewatia, ex-Chief Justice of Punjab and Haryana High Court and later of Calcutta High Court, (2) Shri Kuldip Nayar, Senior journalist and ex-High Commissioner of India to the United Kingdom, (3) Shri Vijay Tendulkar, the well-known playwright and threatre personality, (4) Dr. Anil Sadgopal, noted educationist and social activist, and (5) Shri Rakesh Shukla, Advocate, Supreme Court, who was the Convenor and Member Secretary. The Committee has reported that 14 labourers died in various accidents between 1988 and March 27, 1991.

Sir, in the memorandum submitted by the Chhattisgarh Mukti Morcha, which is espousing the cause of these labourers, they have said that more than 3,800 workers are out of work. One of their demands is that the Minimum Wages Act should be enforced. As you know, the Minimum Wages Act is a Central legislation. It is also the responsibility of the Union Government to see that this Act is enforced.

They have put forward some ten demands. I would refer to three or four of these demands. They want that all those workers who were retrenched should be reinstated. They want that a fair wage and other facilities should be provided, with retrospective effect. They want that full

daily wages should be paid for the injury leave, with retrospective effect. They have also demanded that compensation should be paid in the case of all those workers who died in accidents in various factories and that at least one family member should be given employment.

As has been mentioned by the hon. Minister in his statement, in early 1992, a compromise was arrived at. In this connection, I would like to put three-four questions. As you know, there was industrial unrest in this area. My question is, what was the Central Government doing in this matter? I am asking this because, as I said earlier, one of their demands is that the Minimum Wages Act should be enforced.

Secondly, the State Government has decided to hold a judicial enquiry into this matter. I would like to know whether this judicial enquiry would be under the Commissions of Inquiry Act, 1952?

SHRI M. M. JACOB: May I interrupt the hon. Member for a moment? I have just got the information that the enquiry has been ordered by the Government under the Commissions of Inquiry Act, 1952.

SHRI AJIT P. K. JOGI (Madhya Pradesh): Who is the Judge? A High Court Judge or...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That he will give afterwards. He has said about the mode.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Sir, the workers had announced that they were going to hold a demonstration near that area. The Minister has said in his statement that section 144 was imposed at 2 P.M. I would like to know, what prevented the authorities, the State authorities, from promulgating section 144 in the early hours of the day because the Chhattisgarh Mukti Morcha had said that their demonstration would be peaceful? They had had already informed the authorities that they were going to stage a *dharna*.

I would also like to know whether it is a fact that one Subhash Gupta, a well-known henchmen of Kedia, and his goondas were planted in the general public, which had resulted in this incident? Then, is the Central Government going to give some compensation to the family members of those workers who have been murdered or who have been killed? Lastly, would the Central Government institute an enquiry, on its own, in this case? My information is that—this is also mentioned in the memorandum submitted by the Chhattisgarh Mukti Morcha—the authorities in Madhya Pradesh are in league with the industrialists who have their factories there.

SHRI M. A. BABY (Kerala): Thank you very much, Mr. Vice-Chairman, Sir, for permitting me.

First of all, I must express my feeling of disappointment over the statement, the way in which the statement has been made. I expected that the Central Government authorities would take cognisance of the fact that this was an unprecedented incident where the State Government itself acted in a most criminal way.

A Government and administration which is expected to enforce law and order itself violates it and moreover commits cold-blooded murder; this is the sum and substance of what has happened in Bhilai on 1st July.

Sir, arising out of this statement, I would like to ask whether the Government of India is aware of the fact that the State administration indulged in an exercise of delaying the whole negotiation with the workers. In fact, one month before this particular incident there were series of discussions and some assurances were given to the workers that their demands would be sympathetically considered and resolved. At that point of

[Shri M. A. Baby]

time itself the workers under the banner of the Chhatisgarh Mukti Morcha stated that you had given similar assurances many a time earlier. If you are going to violate again, we will be left with no other option than taking recourse to more militant forms of agitation. Sir, we know that this is not the first time that workers have been forced to take recourse to the form of agitation of squatting on the rail track. I am reminded of the agitation organised by the textile workers of Kanpur in the year 1989. That was a far busier railway line. Still the administration did not resort to indiscriminate firing. There was an effort from authorities to find out an amicable settlement, whereas this particular railway line near the Bhilai power house station was not a similar busier line, and I do not want to go into the details. Therefore, so far as my information goes, on the basis of my own personal experience of having visited that place and collecting the information, the administration was in a most surreptitious and calculated way dragging the Chhatisgarh Mukti Morcha workers to this kind of a trap.

SHRI AJIT P. K. JOGI: Instruction from Bhopal.

SHRI MD. SALIM (West Bengal): From RSS headquarters.

SHRI M. A. BABY: Therefore, the whole incident should be viewed in the largest context of the way in which the BJP Government in Madhya Pradesh has been functioning. When we visited Bhilai on 3rd and 4th July, I came across some paper reports wherein the Chief Ministers himself has admitted that labour laws are not properly implemented in the State. It was 4th July that all major newspapers reported this statement of the Chief Minister of Madhya Pradesh (Interruptions). I shall lay the copies of that newspaper report on the Table of the House with the premission of the Chair.

SHRI MD. SALIM: Blood was needed for the foundation of building the temple.

SHRI M. A. BABY: Therefore, if the State administration deliberately denied the negotiation process and provoked the workers to take recourse to this kind of an agitation, the State Government stands accused, firstly, for violating the labour laws and not helping the workers; and secondly, for having gone far beyond and committing cold-blooded murder of workers, women and children, which is something which in the past independent history of our country, has never happened in any part of the country.

SHRI KRISHAN LAL SHARMA (Himachal Pradesh): Not even in Punjab and Kashmir?

SHRI M. A. BABY: There the situation is entirely different.

SHRI MD. SALIM: He wants the State Government of Madhya Pradesh to be treated on par with the terrorists of Punjab.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): No cross-talk please.

श्री अजीत जोगी : वहां के आदिवासियों को पंजाब के टैरोरिस्ट के बराबर मानते हैं ?

श्री कृष्ण लाल शर्मा : नहीं वह कह रहे हैं कि सारी हिस्ट्री में ऐसी घटना नहीं हुई, मैंने इसके बारे में **पूछा** है आप बताइए । ... (**व्यवधान**)

श्री अजीत जोगी : उनको आतंकवादी मान कर मत मारिए ऐसे ... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : पंजाब का मसला उसके साथ नहीं कंपेयर कर सकते । ... (**व्यवधान**)

श्री अजीत जोगी : तुलना करिए तो सही तुलना करिए । ... (**व्यवधान**)

भिलाई की घटना की बात अलग है। तुलना कीजि तो सही तुलना कीजिए !

श्री कैलाश नारायण सारंग (मध्य प्रदेश) : बस्तर के आदिवासियों पर . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप तो बोलने वाले हैं ।

श्री कैलाश नारायण सारंग : बस्तर के निहत्थे आदिवासियों पर गोली चलाकर उन्हें मारने का काम किसने किया था जोगी जी ?

श्री अजीत जोगी : जब-जब गोली चलायी, तब-तब आपकी सरकार ही थी । सन 77 में भी आपकी सरकार थी और 92 में भी आपकी सरकार थी । . . . (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : सत्या बहिन बैठ जाइए ।

SHRI MD. SALIM: He can't justify... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Baby, now you please proceed. ...(*Interruptions*)... Please sit down. Satya Bahinji, *baithiye*.

SHRI M A. BABY: Sir, I am so sorry that a seasoned and veteran leader of the BJP has drawn parallels between this cold-blooded, State-Administration initiated murder of unarmed workers who were peacefully squatting on the railway tracks and the most unfortunate happenings in Punjab and Kashmir where terrorists, abetted and aided by imperialism and their armaments, are killing innocent people. Both the incidents are extremely different and I am so sorry that in such a callous and irresponsible way the cold-blooded murder of workers of the Chhattisgarh Mukti Morcha at Bhilai is sought to be justified by an hon. Member of this House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): No, no, he has not justified. Please don't say like that. ..., (*Interruptions*)...

SHRI MD. SALIM: He is only comparing the misdeeds!.. (*Interruptions*)..

SHRI M. A. BABY: Sir, I want to know whether the Central Government is aware of the fact that the Madhya Pradesh Government has taken to a course of procrastination of the negotiations and, if so, whether the Central Government would give strict instructions to the State Government of Madhya Pradesh that the problems of the workers would not be handled in such a lackadaisical manner. Secondly Sir, I want to know whether the statement of the Chief Minister of Madhya Pradesh that labour laws have not been implemented in the State of Madhya Pradesh to protect the interests of the workers is true and, if so, what steps the Central Government is going to take towards compelling the State Government of Madhya Pradesh in implementing the existing labour laws.

Similarly, Sir, when we visited the hospitals, we came across cases where the State Administration has pressurized the hospital administration to discharge the injured people who were having bullet injuries and who were not in a position even to stand up. The State Administration has been pressurizing the hospital authorities to discharge them because Mukti Morcha and the police wanted to arrest them. I have the clear case of one Bhimrao Bagde who is a leader of the Chhattishgarh Mukti Morcha. He told us that the has already been discharged. He is not in a position even to stand up; he is so weak. He was injured by bullets but still the State Administration, through some police officers,

[Shri M. A. Baby]

pressurized the hospital authorities, the Bhilai Steel Plant hospital authorities, that he should be discharged. If this is the case, that the injured workers who should not be discharged on medical grounds are being discharged on the basis of pressure from the State Administration, will the Central Government intervene in this matter?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): By whom is the Bhilai hospital owned?

AN HON. MEMBER: The Central Government.

SHRI AJIT P. K. JOGI: The Steel Plant... (*Interruptions*)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The Government must make an inquiry into it.

SHRI M. A. BABY: Thirdly, Sir, I have been told, when I visited that place, even by the relatives of the deceased—the murdered people—that the dead bodies were not handed over to the relatives of the deceased persons. I want to know whether the Central Government has any information in relation to this. My information is that these dead bodies were taken together and the authorities gave permssion to only one or two representatives of the deceased to accompany the dead bodies and these dead bodies were taken 12 kilometres away and these dead bodies were burnt together. This 3.00 P.M. is my information. If this is so, it is the most inhuman action by the State Government. Not only the innocent workers have been killed but their dead bodies also have not been returned to their families. This is an atrocious action. I want a clarification from the Central Government on this.

Sir, regarding the compensation, when we forward some cases of some patients who have to undergo some operation, serious operation, from the Prime Minister's Relief Fund up to Rs. 20,000 is given for the operation. Here are cases in which the only persons who, through their employment, helped to sustain their families, have been killed; and the compensation given by the State Government is too meagre I do not want to repeat it. First, an assistance of Rs. 2,000 was given. The value of a life was given. Then, another Rs. 10,000 has been given. The value of a life cannot be measured. Even if Rs. 50,000 or Rs. 1 lakh is given, that is not sufficient. But, still, considering the poverty of the families, the money that has been disbursed is totally inadequate, and the Central Government should immediately do something about that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That is all.

SHRI M. A. BABY: Sir, similarly—one more point—the callous way in which the murderers of Neogy were allowed to escape, is a very important, crucial issue behind the whole development. The State Government itself which now stands accused of having perpetrated this murder, cold-blooded murder of the workers, has helped murders of the leader of the workers, Shanker Guha Neogy. What steps is the Central Government proposing to take with regard to this particular case where the murderer of a trade-union leader is being protected by the State Government? Though, under popular pressure one culprit was arrested, under surreptitious circumstances he ecaped from the jail. What step would the Central Government like to take with regard to the murder of Shanker Guha Neogy?

Thank you very much, Sir.

श्री कैलाश नारायण सारंग: उपसभाध्यक्ष जी, गृहमंत्री जी द्वारा दिया गया वक्तव्य मैं बड़े गौर से सुन रहा था। हमारे बेबी साहब जो बोल रहे थे वह भी मैं बड़े गौर से सुन रहा था। भिलाई में जो यह दुखद घटना हुई है, वास्तव में उससे हम सब दुखी हैं, निहत्थे मजदूरों की उसमें मृत्यु हुई है उस पर सबको दुख है। परंतु, ऐसी कौन सी

परिस्थितियां थीं ऐसे कौन से हालात थे जिनके कारण यह स्थिति बनी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? ... (व्यवधान) ...

[The Vice-Chairman (Shri M. A. BABY) in the Chair]

एक माननीय सदस्य : भाजपा ।

श्री कैलाश नारायण सारंग : हां उसी का भजन करो, तर जाओगे । भाजपा, भाजपा बोलते जाओ । पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, सवाल यह है ... (व्यवधान) ...

श्री मोहम्मद सलीम : उपसभाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है : After the Minister has read out the statement, hon. Members are free to seek clarifications. My question is whether the Member is seeking clarifications or explaining the position of the Madhya Pradesh Government.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : अभी उन्होंने आधा घंटा पूछा है । ... (व्यवधान) ...

श्री मोहम्मद सलीम : सवाल यह नहीं है, आधे घंटे के बजाय चार घंटे वह सवाल पूछें, लेकिन किस स्थिति में गोली चली थी, He is not here to defend the State Government.

SHRI KRISHAN LAL SHARMA: You are here to charge the State Government: we are here to defend it.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात) : यह स्टेटमेंट में नहीं है, इसलिए पूछ रहे हैं यह ।

श्री मोहम्मद सलीम : स्टेटमेंट में जो नहीं है वह आप मुल्लाई कर रहे हैं ।

श्री कैलाश नारायण सारंग : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र को इस दलील पर मुझे एक उर्दू का शेर याद आ गया—

जुतका दौर है किस किस को जाएं समझाने ।
यहां भी अकल के दुश्मन हैं वहां भी दीवाने ।

श्री मोहम्मद सलीम : आपने ऐसे काम किए ही क्या ?

†[श्री मोहम्मद सलीम : آپ ایسے کام کئے ہی کہاں

श्री अजीत जोगी : इस दर्दनाक घटना पर आपको ऐसे शेर याद आ, रहे हैं ।

श्री कैलाश नारायण सारंग : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई जो है उस पर पर्दा डालने की कोशिश न करें, जरा गौर से सुनें, जरा दिल थामकर सुनें । जिन परिस्थितियों में यह घटनाक्रम हुआ, उपसभाध्यक्ष महोदय, वास्तव में समझौता होने की स्थिति बन चुकी थी ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : (बिहार) : ठेकेदारों के दलालों के साथ ।

श्री कैलाश नारायण सारंग : एक जुलाई को फाइनल समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले थे । 9 मांगों में से 8 मांगें मान ली गयी । मेरा प्रश्न है, मैं जो बातें कहना चाहता हूं जिनको इस स्टेटमेंट में नहीं लिया गया है ।

श्री अजीत जोगी : इस स्टेटमेंट में हैं ।

श्री कैलाश नारायण सारंग : बात सुनो, क्यों घबड़ा रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो । जरा धैर्य रखो 9 मांगों में से 8 मांगें मान ली गयी थीं । एक तारीख को बारह बजे के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले थे । मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री उसके तीन दिन पहले वहां रहे । सारी बातों की चर्चा

श्री कैलाश नारायण सारंग

करके मजदूरों और उद्योगपतियों के बीच में समझौता होने वाला था । एक तारीख को समझौते पर हस्ताक्षर करने के बजाय बिना किसी सूचना के आचानक धरना देने की घोषणा हो गई । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि तीन हजार, चार हजार मजदूर, भिलाई आपने देखी है, वहां रेल पटरियों पर जाकर बैठ गए । उनमें तीन सौ, चार सौ महिलायें भी थीं । लेकिन मैं पूछना हूं कि शांतिपूर्ण ... (**व्यवधान**)

श्री अजीत जोगी : स्टेटमेंट में लिखा है ।

श्री कैलाश नारायण सारंग : सुनते जाइये । यह नहीं लिखा है । जरा सुनिए । मैं यह पूछता हूं कि शांति पूर्ण धरना देने वाले मजदूरों के सिर पर हेलमेट लगे हुए थे, उनके हाथों में डंडे थे । यह थे प्रश्न पूछना चाहता हूं । इस सत्य को क्यों नकाराना चाहते हैं । मुक्ति मोर्चे की ऐंबुलेंस वहां खड़ी की गयी थी और कुछ लोग तमाशबीन के रूप में प्रशासन से झगड़ा करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए एक तरफ खड़े किए गए थे । इतना ही नहीं, सारी ट्रेन रोकदी गयी ।

श्री अजीत जोगी : ए के 47 भी थी उनके पास ?

श्री कैलाश नारायण सारंग : वह तो आप रखे हुए थे, चुपचाप खड़े तमाशबीनों में आप देख रहे थे । यह फक्ट है । अभी तो एक और फैक्ट थे आपको बताऊंगा मेरे तो दुख यह है कि आज हमारी महिलायें बहनें यहां उपस्थित नहीं हैं । मैं एक और फैक्ट आपके सामने बताना चाहता हूं ।

यह सारा समझौता होने वाला था । परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि जिन फोर्सेज ने देखा कि समझौता होने वाला है, मजदूर समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं । परन्तु उन्हें कहां सुहाता है मध्य प्रदेश में शांति रहे, मध्य प्रदेश में झगड़े न हों । उन झगड़ों को बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से... (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : यह भाषण है या क्लेरिफिकेशन है ?

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल (उत्तर प्रदेश) : जब मजदूरों ने बन्दूक पकड़ी, उसको अपनी तरफ किया और गोली चलायी ।

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: جب مزدوروں نے بندوق پکڑی اس کو اپنی طرف کیا اور گولی چلائی۔

उपसभाध्यक्ष (श्री एम०ए० बेबी) : आप कृपया सवाल पूछें स्टेटमेंट के ऊपर ।

श्री कैलाश नारायण सारंग : इस स्टेटमेंट में यह बात मैं गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि केन्द्र के मंत्री 17 जून को गए और जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य दिया, श्रमिकों को भड़काने वाला, उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है । क्या ऐसा कोई वक्तव्य हुआ था कि नहीं हुआ, मेरा यह स्पैसिफिक प्रश्न है... (**व्यवधान**) सुनते जाइए, अभी तो सुनते जाइए फिर पूरे आठ घन्टे तक... (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद सलीम : आप महिलाओं के बारे में कुछ बता रहे थे ।

श्री कैलाश नारायण सारंग: मैं बताऊंगा, ठहर जाइए । सीने पर हाथ रखकर बात करूंगा, ठहर तो जाओ । बड़ी दर्दीली बात है बहनजी, आप आ गई हैं, आपका भी सिर शर्म से झुक जाएगा' जो कुछ हुआ है वहां ।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : अरे आपको देखकर तो वैसे ही सिर शर्म से झुक जाता है ।

श्री कैलाश नारायण सारंग :*

† Transliteration in Arabic Script.
*Not recorded.

श्री मोहम्मद सलीम : इतना सीरियस मामला है आप मजाक क्यों कर रहे हैं ?

श्री अजीत जोगी : इतने गंभीर मसले को आप... (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : इसे रिकार्ड से निकाल दीजिए... (**व्यवधान**)

श्री कैलाश नारायण सारंग : देखिए मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं । वह कह रही हैं... (**व्यवधान**)

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : इन्होंने जिस तरह से यह कहा है कि यह रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए, इसे निकाल देना चाहिए... (**व्यवधान**) महोदय, जिस तरह से माननीय सदस्य ने कहा यह रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए, इसे निकाल दीजिए... (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): That will not form part of the debate. He has withdrawn it.

SHRI S. S. AHLUWALIA: He is making a mockery of the Statement. It is a serious incident. He should be ashamed of it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): He has withdrawn that reference and that does not form part of the record.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : सारंग जी हैं, आप इसे वापस लीजिए... (**व्यवधान**)

श्रीमती सत्या बहिन : किसी ने उनको* नहीं कहा ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : यह मामला सीरियस है सीरियस क्यों नहीं बनाएंगे ? ऊपर शेरो-शायरी हो रही हैं यहां पर... (**व्यवधान**)

श्री अजीत जोगी : आप खुद कह रहे हैं कि 16 आदमी मारे गए ... (**व्यवधान**)

*Not recorded.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया आदिवासियों की जिन्दगी से खेल कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको ... (**व्यवधान**)

श्रीमति सत्या बहिन : शर्म आनी चाहिए आपको ... (**व्यवधान**)

श्री कृष्ण लाल शर्मा : जो विषय है उसकी तरफ से ध्यान मत हटाइए ... (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : इस तरह से नौटंकी कर रहे हैं ... (**व्यवधान**) तरीके से आप बोलिए ... (**व्यवधान**)

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : नहीं उपसभाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जब बोला तभी उन्होंने कहा है ... (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : कुछ नहीं बोला इनको ..(**व्यवधान**) उनको बोला–इनको देखकर शर्म आ रही है मरे को... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री एम. ए. बबी) : सारंग जी, आप कृपया सावल पूछकर कन्क्लूड करें ... (**व्यवधान**)

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : जिस बात पर चर्चा हो रही है, उस बात पर शेरो-शायरी नहीं हो रही है .... (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : निहत्थे आदिवासियों पर गोली चलाकर मरवा दिया, ऊपर से यह शेरो-शायरी सुना दी ... (**व्यवधान**) यह क्या मुजरा हो रहा है यहां पर सदन में .... (**व्यवधान**)

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : उन्होंने बीच में टोका, इसलिए उन्होंने कहा ... (**व्यवधान**)

श्री कैलाश नारायण सारंग : आप बैठिए, सत्या बहिन को मैं जवाब दे दूंगा।

श्री कैलाश नारायण सारंग

जब उन्होंने कहा कि आपको **सुरत** पर तरस आता है तब मैंने यह कहा लेकिन अगर उनको दुख है ... **(व्यवधान)**

श्रीमती सत्या बहिन : गलत कह रहे हैं आप ... **(व्यवधान)**

श्री कैलाश नारायण सारंग : मैं अपने शब्द वापस लेता हूं ... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री एम. ए. बेबी) : मैं सत्या बहिन जी आप बैठिए .... **(व्यवधान)**

श्री कैलाश नारायण सारंग : उपसभाध्यक्ष महोदय, 8 घंटे तक रेल पटरी पर लोग बैठे रहे । बारह रेलगाड़ियां रुकी रहीं । गर्मी के दिन थे। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही थी । बच्चे और सवारियां प्यासी मार गई । हालत बहुत खराब थी । बार-बार लोग ... **(व्यवधान)** ।

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Sir, are we converting it into a debate?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Now, he will ask clarifications.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: He is repeating what has been reported in the press. If there are any clarifications on the statement he can ask. If he is converting it into a debate, then, we will have to narrate the whole story. We are concerned with the incident from 1st July.

SHRI KAILASH NARAYAN SARANG: I have to narrate the whole story.

SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Sir, I am on a point of order.

उपसभाध्यक्ष (श्री एम०ए० बेबी) : क्वांइट आर्डर क्या है बोलिए ... **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : सर, होम मिनिस्टर ने जो कुछ अपने स्टेटमेंट में दिया है .... **(व्यवधान)**

वाइस चेयरमैन, सर मेरा क्वांइट आफ आर्डर है, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं । होम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो इंफार्मेशन उन्होंने ली है वह मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से ली है । मैं समझता हूं कि जो कुछ यहां स्टेटमेंट दिया गया है उस पर क्लैरिफिकेशन पूछा जा रहा है । मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ इंफार्मेशन अपनी मैंबर्स को अलग से दी है ..ये क्लैरिफिकेशन नहीं पूछ रहे हैं, बयान कर रहे हैं जो मेरे ख्याल में बहुत गलत है, नियम के बहुत खिलाफ है इसलिए मेरी उनसे गुजारिश है कि जो सवाल है वह सरकार से पूछें ..... **(व्यवधान)**

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: وائس چیئرمین سر میرا پوائنٹ آف آرڈر ہے۔ میں انٹرپٹ نہیں کر رہا ہوں ہوم منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے جو انفارمیشن انہوں نے لی ہے۔ وہ مدھیہ پردیش گورنمنٹ سے لی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ یہاں اسٹیٹمنٹ دیا گیا اس پر کلیری فکیشن پوچھا جا رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مدھیہ پردیش سرکار نے کچھ انفارمیشن اپنے ممبرس کو الگ سے دی ہے ... یہ کلیری فکیشن نہیں پوچھ رہے ہیں۔ بیان کر رہے ہیں جو میرے خیال میں بہت غلط ہے۔ نیم کے بہت خلاف ہے اس لئے میری ان سے گزارش ہے کہ جو سوال ہے وہ سرکار سے پوچھیں۔" مداخلت"

श्री कैलाश नारायण सारंग : क्लैरिफिकेशन ही पूछ रहा हूं . . (**व्यवधान**) उपसभाध्यक्ष महोदय, जो कुछ वहां घटना हुई है वह मैं ठीक प्रकार से सदन में नहीं बताऊंगा तो प्रश्न क्या करूंगा, प्रश्न तो तभी होंगे . . . (**व्यवधान**)

श्री एच हनुमंत पा : यह स्टेटमेंट में है । जो बातें आप कह रहे हैं वह लिखकर दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने . .

SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: He is just telling stories rather than asking questions.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : बात खत्म हो जाएगी अगर आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो । इस सदन में यह परंपरा रही है कि प्रश्न पूछते हैं, लेकिन प्रश्न के अलावा आप भी कह देते हैं । बात लंबी हुई है, उसको छोटा कर लें . . . (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह आहलूवालिया क्या वह कहते हैं कि जो वह कह रहे वह राज्य सरकार की रिपोर्ट में नहीं है? अगर वह डिनाई करते हैं तो सीधे सवाल पूछें ? . . . (**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : एडीशनल बातें कह सकते हैं म आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब आप बोलते हैं तो तिगुनी चोगुनी बातें बोलते हैं । हमने, सब ने आपको सुनाहै । हम लोग लंबी बात कर लेते हैं । तो ज्यादा लंबा मत करिए । जब आप बोलते हैं तो हम सब जानते हैं कि क्लैरिफिकेशन कितनी मांगते हैं । आप भी यही करते हैं । लेकिन आपको कोई चीज नहीं भा रही है तो थोडा दिल थामकर बैठिए, सुन लीजिए . . (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री एम० ए० बेबी : सारंग जी, आप संक्षेप में कहिए . . .

श्री कैलाश नारायण सारंग : उपसभाध्यक्ष जी, क्या रेल रोकी नहीं गई ? अब मैं प्रश्न ही कर रहा हूं । क्या वहां पर जो रेलगाड़ी हावड़ा में दिल्ली चलती है और हावड़ा से नागपुर चलती है, हजारों यात्री वहां पर परेशान नहीं थे । पुलिस ने कोशिश की कि उनको समझायें । क्या यह सही नहीं है ? पुलिस ने जाकर बार बार कहा, क्या यह सही नहीं है । पुलिस के एक सब, इंस्पैक्टर उनके पास गया उसने कहा कि रुक जाओं, हट जाओं उनको हटाने की कोशिश की । हटाने की कोशिश के बजाए उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया गया । क्या यह सच नहीं है ? मैं पूछना चाहता हूं कि पत्थर फेंकने के बाद उसको मारा गया, पीटा गया, वह गिर पड़ा, उसको लाठियों से मारा गया । क्या यह सच नहीं है ? इससे भी बड़ी बात यह है कि जो सच यहां पर नहीं आया है, एक महिला कांस्टेबल को निर्वस्त्र किया गया, मेरे पास राष्ट्रीय सहारा का समाचारपत्र है । क्या कोई हरी वर्दी पहनना पाप है यह मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं . . . (**व्यवधान**)

श्री एच हनुमंतप्पा : आपकी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं रिपोर्ट भेजी . . (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह आहलूवालिया : यह कौन सा बयान है . . . (**व्यवधान**)

श्री अजीत जोगी : आपकी सरकार को पता नहीं है और आपको पता है । उन्होंने यह लिख कर नहीं भेजा । (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री एम. ए. बेबी) अहलूवालिया जी इसमें आपका नाम है जब आपका नाम आए उस वक्त आप उठकर बोलिए । . . (**व्यवधान**)

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir if he is giving all sorts of information, then there should be a discussion out side the statement of the Home Minister. (**Interruptions**)

†[] Transliteration in Arabic Script.

श्री कैलाश नारायण सारंग मैं गृह मंत्री जी से प्रश्न पूछ रहा हूं ... **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद सलीम : भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में तीन-तीन जगह गोलियां चलाई, छात्र मरे .. **(व्यवधान)**

شری محمد سلیم : بھاجپا سرکار نے اتر پردیش میں تین تین جگہ گولیاں چلائی، چھاتر مرے۔ "مداخلت"۔

SHRI H. HANUMANTHAPPA: If what has been stated by the hon. Member is really true, that is an atrocity against a woman, then why has the State Government not furnished this information? (*Interruptions*) Why is he coming with all that information which has not been furnished by the State Government? (*Interruptions*)

श्री अजीत जोगी : माथुर साहब ने उनको समझा दिया वह ठीक बोलेंगे ।

श्री कैलाश नारायण सारंग : देखिए, इस बात से हम भी बहुत दुखी हैं कि निहत्थे, निर्दोष श्रमिक मारे गए उस गोली कांड में। मैं होम मिनिस्टर के सामने कुछ फैक्ट्स ला रहा था । वह बतायेंगे कि वह सच है या नहीं । मैंने कहा कि एक कर्मचारी समझाने के लिए, पुलिस अधिकारी, आया तो उनको पत्थरों से पीट-पाटी कर मार दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन से तत्व हैं यह बतायें । **(व्यवधान)** मजदूर आंदोलन में होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि वे कौन से असामाजिक तत्व घुस गए जिन्होंने इस आंदोलन को इस स्थिति पर पहुंचाने के बाद जबकि समझौता होने की स्थिति हो रही थी, उसको वायलेंट बनाया, उस आंदोलन को हिंसक बनाया ? समझौता होते-होते धरने पर बैठे लोगों ने रेल रोकी और उसके बाद पत्थर चलाना शुरू कर दिया । वहां से लोगों को हटाने की कोशिश की गई । सारी बातें मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछ रहा हूं । मेरा स्पष्ट मत है कि जो कुछ हुआ भिलाई में वह निश्चित रूप से दुखद है और हम भी उससे दुखी हैं । परंतु .. **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ़ **भीम अफजल** हमारा कसूर नहीं है । **(व्यवधान)**

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: ہمارا قصور نہیں ہے۔ "مداخلت"۔

श्री कैलाश नारायण सारंग : जुडिशियल इंक्वायरी तय करेगी कि कसूर किस का है । यह सब पता चल जाएगा जुडिशियल इंक्वायरी की स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है । उसकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए । जो मैंने चार-6 प्रश्न होम मिनिस्टर साहब के सामने रखे हैं कृपया उन्हें वह बताने का कष्ट करें।

श्री मोहम्मद सलीम : उपसभाध्यने महोदय, जो एडीशनल इन्फरमेशन इन्होंने बदी है इसके लिए धन्यवाद देता हूं । दए तथ्य स्टेटमेंट में नहीं थे वह उन्होंने है, क्या वह यह बतायेंगे कि क्या यह सचाद कि 18 मजदूरों के मर जाने के भिलाई में, **(व्यवधान)**

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: آپ سبھا ادھیکش مہودے، جو ایڈیشنل انفارمیشن انہوں نے دی ہے اس کے لئے دھنیہ واد دیتا ہوں، جو تتھیے اسٹیٹمنٹ میں نہیں تھے وہ انہوں نے دیئے۔ کیا وہ بتائیں گے کہ اٹھارہ مزدوروں کے مر جانے کے بعد بھلائی میں وہاں سے ان کا خون کلیکٹ کیا گیا اور مشہور پرشد کے ذریعہ ایودھیا بھیجا گیا اور جو کنکریٹ چھانی جائے گی فاؤنڈیشن کے لئے اس میں وہ خون استعمال ہوگا۔ "مداخلت"۔

*Expunged order by the Chair.

†[] Transliteration in Arabic Script.

श्री अनन्त राय देवशंकर दवे : यह रिपोर्ट पर नहीं आना चाहिए । . . . **(व्यवधान)**

श्री कैलाश नारायण सारंग : इस तरह की जिम्मेदाराना वक्तव्य देकर यह अपनी हैसियत बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कहां तक जा सकते हैं । यह असत्य है । . . **(व्यवधान)**

श्री राम नरेश यादव : यह जो भिलाई में पहली जुलाई को गोली चली और 16 लोग मारे गए । इसमें महिलायें भी हैं और एक 12 साल का बच्चा भी है । **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीमअफजल : मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे आनरेबल सलीम साहब ने इस वक्त ऐसी बात कही है जो ठीक नहीं है । मैं गुजारिश करूंगा क्योंकि उन्होंने शायद गुस्से में यह कहा है इसको वाकई रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए । अगर अखबारों में जाएगा तो इसका अच्छा परिणाम नहीं होगा । मैं दर्खास्त करता हूं सलीम साहब से यह अपने अल्फाज वापस ले लें । **(व्यवधान)**

شری محمد افضل عرف م۔ افضل : میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے آنریبل ممبر صاحب نے اس وقت ایسی بات کہی ہے جو ٹھیک نہیں ہے ۔ میں گزارش کروں گا کیوں کہ انہوں نے شاید غصے میں یہ کہا ہے کہ اس کو ریکارڈ میں واقعی نہیں جانا چاہیئے اگر اخباروں میں جائے گا تو اس کا اچھا پریشام نہیں ہوگا ۔ میں درخواست کروں گا سلیم صاحب سے وہ اپنے الفاظ واپس لے لیں ۔ ۔ ۔ ۔ مداخلت ۔

---

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री मोहम्मद सलीम : गोलियों के चलने के बाद, उनके मरने के बाद – **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मैं यह रिक्मवेस्ट करता हूं कि यह रिकार्ड पर नहीं जाना चाहिए ।

شری محمد افضل عرف م۔ افضل : میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ریکارڈ پر نہیں جانا چاہیئے ۔

श्री मोहम्मद सलीम : मैंने कोई गलत बात नहीं कही है । वहां पर जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है . . . **(व्यवधान)**

شری محمد سلیم : میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے ۔ وہاں پر جیوڈیشیل انکوائری ہو رہی ہے ۔ ۔ ۔ مداخلت ۔

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : वहां पर 18 मजदूरों के मारे जाने के बाद सदन की भावना जो है वह वही होनी चाहिए जो सलीम साहब की है और हमारे दूसरे दोस्तों की है । इस मौके पर जिस तरह के सवालात सलीम साहब ने उठाए हैं वे कुछ अच्छे नहीं लगे उन्होंने कुछ अंदाज से ऐसा कह दिया । मैं समझता हूं कि यह हमारे सदन की परम्परा के मुताबिक नहीं है कि यह सब रिकार्ड पर जाए और अखबारों में छपे । इसका अच्छा परिणाम नहीं होगा । मैं एक बार फिर अपने साथी से दर्खास्त करता हूं कि वे इन अल्फाज को वापस ले लें । मैं सारंग साहब से भी दर्खास्त करूंगा कि वे अपनी सरकार को डिफेंस करने में इतने आगे न जाएं कि दूसरे लोगों के जजबात भड़क जाएं । 18 मजदूरों के मारे जाने के बाद अगर व इस तरह से अपनी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं तो यह मामला अच्छा नहीं लगता यह शर्म की बात है ।

श्री राम नरेश यादव : महोदय, मध्य प्रदेश में भिलाई में, जो एक औद्योगिक नगर है, वहां पहली जुलाई को जिस तरह से पुलिस की गोली से 16 मजदूर मारे गए वह घटना बहुत ही दुखद है, निन्दनीय भी है और चिन्तनीय भी है। इसलिए कि यह एक आदिवासी क्षेत्र है और वहां सारे मजदूर और आदिवासी काम करते हैं। उस औद्योगिक क्षेत्र में काफी दिनों से यह संघर्ष चल रहा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन लोगों की जो समस्या थी, विशेष रूप से वहां पर निजी उद्योग लगे हुए थे उन पर वहां की सरकार का वरदहस्त था। वे ऐसे प्रभावी लोग थे कि जो वहां पर छत्तीसगढ़ मोर्चा बना रखा था उन कर्मचारियों की एक मांग चल रही थी, उसका उल्लेख पैरा 3 में मंत्री जी ने किया है। उनकी मांग थी कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाये। वेतन से संबंधित उनकी मांग थी कि बोनस और सेवा शर्तों से संबंधित मांग थी। जिन कर्मचारियों को हटा दिया गया है उनको वापस लेने की मांग थी। मिनिमम वेजेज की मांग थी। बहुत दिनों से उनका यह संघर्ष चल रहा था। उसी कड़ी में उनका आन्दोलन चल रहा था जिसके बारे में हमारे साथी चर्चा कर रहे हैं। इसी संबंध में शंकर गुहा नियोगी की हत्या की बात भी कही गई। उनके हत्यारे वही थे जिनके ऊपर सरकार और प्रशासन का संरक्षण था। मजदूरों की यह मांग थी कि उन हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। उनकी मांग थी उनको गिरफ्तार किया जाए। ये सारी उनकी मांगें थी। सरकार और प्रशासन इन मांगों को गम्भीरता से नहीं ले रहा था क्योंकि जो लोग वहां पर उद्योगों को बढ़ा रहे थे उन लोगों का संबंध वहां की सरकार से था और सरकार चलाने वाले नेताओं से था। इसलिए कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इतना मामला चल रहा था तो क्यों नहीं प्रशासन ने बैठकर और स्वयं वहां के श्रममंत्री ने बैठकर इन मामलों को हल क्यों

श्री मोहम्मद सलीम : अगर ऐसा है तो मैं इन्हें वापस लेता हूं।

श्री मोहम्मद सलीम : अगर ऐसा है तो मैं इन्हें वापस लेता हूं।

नहीं किया ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं । सारंग जी ने अभी अपना बयान दिया है, पूरा बयान प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार के पास और गृह मंत्री के पास भेजा है । उसी के आधार पर पूरा वक्तव्य आया है तो इससे जो प्रश्न उपस्थित हो रहा है, उस संबंध में मैं जानना चाहता हूं . . . (व्यवधान) . . .

मुझसे अधिक आप जानते हैं । इसलिए जरा शांत रहिए . . .

श्री कैलाश नारायण सारंग : समझौता हो रहा था वह तो बता दिया ।

श्री राम नरेश यादव : अगर समझौता हो रहा था, इस तरह की बात हुई थी . . .

श्री कैलाश नारायण सारंग : हस्ताक्षर होने वाले थे ।

श्री राम नरेश यादव : . . तो प्रदेश सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए था । लेकिन नहीं आया और सारी चीजों को छुपाने की कोशिश हुई है यह भी आरोप है । मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फाइरिंग जिस तरह से हुई, जिस तरह से लोग मरे हैं उस तथ्य पर पर्दा डालने के लिए और प्रशासन को बचाने के लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कैसे गढ़ रही है । पैरा 3 में है कि पहले आगाह किया गया, चेतावनी दी गयी और फिर लाठी चार्ज किया गया । यह जो सारी बात इसमें आ रही है, मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में यह सब कुछ नहीं हुआ है केवल उस घटना को छुपाने के लिए उस पर पर्दा डालने के लिए ये सारी बातें हो रही हैं । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

पहला यह कि जब कि सचमुच में इनकी मांगें चली आ रही थी तो क्या प्रशासन ने इसके पहले उनके साथ बैठकर कितनी बार बातचीत की ? वहां के श्रम मंत्रालय के साथ, लेबर कमिश्नर के साथ कितनी बार बातचीत हुई ? क्या इसका कोई संकेत आपका जो बयान है उसमें मिलता है ? अगर उसमें मिलता है तो मैं कहना चाहता हूं कि इसका मतलब यह है कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकी है ।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने यह कहा कि शंकर गुहा नियोगी की जो हत्या हुई तो उसके जो हत्यारे थे, क्या उनके बारे में प्रदेश सरकार ने आपको कोई रिपोर्ट भेजी है ? क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया गया ? अगर गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के बाद क्या क्या कार्यवाही की गयी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मजदूरों की यह भी एक मांग थी या नहीं ? जो मोर्चे के लोग थे, उनकी यह मांग थी या नहीं थी ? अगर थी तो इस संबंध में प्रदेश सरकार ने क्या कार्यवाही की है, क्या इस बारे में आपको कोई जानकारी है ? अगर आपको जानकारी नहीं है तो क्या प्रदेश सरकार से जानकारी लेकर सदन को बताने का प्रयास करेंगे यह मैं जानना चाहता हूं ।

तीसरी बात यह है कि यह कहा गया है कि जूडीशियल इन्क्वायरी बिठा दी गयी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जूडीशियल इन्क्वायरी एक्ट के तहत, सरकार कहती है और जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि नियुक्त किया जाएगा । बात बहुत साफ है कि सरकार, प्रशासन और वहां के उद्योगपति, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से उद्योगपति का नाम मुझे मालूम है, जिनका इसमें हाथ है और जिनको संरक्षण दिए जाने के कारण इतनी बड़ी जबर्दस्त घटना घटी है । नहीं तो हो सकता है कि अगर यह सरकार निष्पक्ष रूप से काम करती और इनके वशीभूत होकर काम नहीं करती तो यह घटना न होती और इस घटना को बचाया जा सकता और मामले का हल भी किया जा सकता । लेकिन वहां पर तो राजनीति काम कर रही थी कि किस तरह से अपने

[श्री राम नरेश यादव]

स्वार्थ की सिद्धि की जाये । इसलिए मैं जानना चाहता हू कि क्या प्रदेश सरकार ने जो संकेत दिया है, जूडीशियल इक्वारी का वह किसी सिटिंग जज से करा रहे हैं या सेवानिवृत्त जज से करा रहे हैं ? हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा जज हैं, ऐसे सिटिंग जज से इक्वारी करायी जानी चाहिए । क्या इस तरह का निर्देश केंद्र की तरफ से, यद्यपि हस्तक्षेप करने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन मेरा आग्रह है कि इस बारे में सेवा-निवृत्त जज से जांच करा रहे हैं या किसी सिटिंग जज से करा रहे हैं ? हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच कराई जानी चाहिए क्योंकि बात बिल्कुल साफ है इस मामले पर प्रदेश सरकार ने पर्दा डालने का काम किया है, इसलिए इस पर वह पर्दा न पड़ा रहे, इसके लिए यह आवश्यक है । साथ ही साथ यह भी आया है कि कुछ मामलों में समझौता भी हो गया था । तो मैं यह जानना चाहता हू कि क्या प्रदेश सरकार ने बताया है कि वह समझौता हुआ था ? अगर नहीं कहा है तो इसका मतलब साफ है कि सचमुच में कोई समझौता नहीं हुआ था । मजदूरों की मांग चली आ रही थी, चेतावनी दी गयी थी लेकिन चेतावनी के बाद भी हमारा आरोप है प्रदेश सरकार ने, वहां के प्रशासन ने कोई प्रीकाशनरी मेजर नहीं लिया ? मैं जानना चाहता हूं कि प्रीकाशनरी मेजर लिया था या नही लिया था ? और अगर नहीं लिया था तो उसकी जिम्मेदारी भी प्रदेश सरकार पर है । मैं इन शब्दों के साथ कहना चाहूंगा कि एक तो जो धनराशि दी गई है वह बहुत ही कम है । इस दिशा में भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : केंद्रीय सरकार को देनी चाहिए ।

श्री राम नरेश यादव : मैं वही कह रहा हूं । प्रधानमंत्री जी ने अपने कोस से दी है लेकिन उससे भी हट कर के क्योंकि यह मानवता का सावल है, मैं उधर के सभी सम्मानित सदस्यों से कहूंगा कि यह एक वैसी घटना हुई है इसमें हम लोगों को पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठकर के विचार करना चाहिए । मैं फिर गृह मंत्री जी से मांग करूंगा कि केंद्रीय सरकार को भी अधिक से अधिक धनराशि मृतकों के परिवारों के लिए और घायलों के लिए दिलाने की व्यवस्था करायें । यह भी व्यवस्था करायें कि जो अपराधी हैं और जिन दूसरे लोगों का इस अपराध में हाथ रहा है, प्रदेश सरकार को लिखें कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं । इसकी जानकारी भी सदन को दें । यही मेरे स्पष्टीकरण है जो मैं आपसे जनना चाहता हूं ।

श्री अजीत जोगी : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री का जो यह बयान दिनांक एक जुलाई, को भिलाई में निर्मम और बर्बर गोलीकांड हुआ है, जहां घटना के तत्काल बाद पहुंचने वाले लोगों में से मैं एक था, जिसकी तुलना जो इतिहास स्मरण आता है केवल जलियावाला बाग से ही की जा सकती है (**व्यवधान**) उसके संदर्भ में, मैं गृह मंत्री जी से चंद सवाल पूछना चाहता हूं । क्या यह सच है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का वर्तमान आन्दोलन 20 मास से चला आ रहा था और शासन की ओर से उनकी मांगों की पूर्ति के लिए पहल केवल तब तब की गई जब यह समझा गया कि यह आंदोलन विकराल या गम्भीर रूप ले सकता है पहली बार जब माननीय जोशी जी की रथ यात्रा उस क्षेत्र से हो कर निकल रही थी, तब इस छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के लोगों ने आहवान किया कि हम उस रथ यात्रा को रोकेंगे । तब घबरा कर, विचलित हो कर शासन ने उनसे बात करने का फैसला किया । क्या यह सच है ? तब वह बात हो कर बात आई-गई हो गई । उनकी बात को नहीं सुना गया । दूसरी बार जब फिर आहवान किया गया कि 15 मई को भिलाई नगर में 15 लाख लोगों को लाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तब विचलित हो कर के राज्य शासन के उद्योग मंत्री श्री कैलाश जोशी जी वहां गए और

बतचीत की । मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं कि इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य शासन का रवैया इनकी मांगों को पूरा करने का बिल्कुल नहीं था । जब जब उनको लगा कि स्थिति गम्भीर होगी, तब तब उन्होंने बातचीत की पहल की । 15 तारीख के आंदोलन को समाप्त करने के लिए उद्योग मंत्री वहां गए । जैसे इस बयान में लिखा है 8 में से 7 मांगों को पूरा कर देंगे लेकिन एक भी मांग पूरी नहीं की गई । यह कह रहे हैं कि सात मांगे पूरी हो गई थी लेकिन मांग एक भी पूरी नहीं हुई । आश्वासन दिया गया था कि 7 मांगों को हम पूरा कर देंगे । 15 दिन का समय दिया गया और जब 15 दिन से अधिक समय बीत गया तो उसके बाद क्या यह सच है कि 23 तारीख से धीरे धीरे मजदूर वहां इकट्ठा होने लग जिसकी पूरी जानकारी शासन और प्रशासन को थी फिर भी 23 तारीख से ले कर 30 तारीख तक पूरे एक सप्ताह तक उन्होंने कोई बातचीत की पहल नहीं की । क्या यह सच है, यदि यह सच है तो क्या यह सच नहीं है कि राज्य शासन ने इस आन्दोलन की पूरी अनदेखी की? केवल दो बार जब उनको खतरा लगा कि यह आन्दोलन गम्भीर रूप ले सकता है, तभी बातचीत की पहल की। मैं इसलिए गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो यह बात कही गई कि उस दिन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले थे, यद्यपि यह बयान में नहीं है किन्तु माननीय सदस्य ने कहा है, इस लिए इस संदर्भ में माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा अगर अभी जवाब दें सकें तो अभी दें अन्यथा बाद में बात कर लें कि उस दिन जिस समझौते को करने के लिए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने लोगों को बुलाया था, वह केवल एक यूनिट जिसमें 36 मजदूर काम करते हैं, वायर ड्राइंग की छोटी यूनिट है उसके संदर्भ में बुलाया था । बड़े आंदोलन के संबंध में जिसका कोई 5 हजार मजदूरों से संबंध था उसके लिए कोई पहल नहीं की गई ! इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य शासन की यह बेरुखी, यह अनदेखापन, एक तरह से इस आंदोलन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना, इस स्थिति को बनाने के लिए इस स्थिति में तनाव लाने के लिए जिम्मेदार नहीं था ?

उस दिन, घटना विशेष के दिन ये लोग, जैसा कि बयान में कहा गया है कि सुबह 9 बजे से लेकर साढ़े 5 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से रेल की पटरी पर बैठे रहे । मैं प्रशासन में रहा हूं । 12-13 साल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूं । इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि 9 बजे से लेकर साढ़े 5 बजे तक जबकि दिन का उजाला था अगर आप इन मजदूरों को बलपूर्वक हटाना चाहते तो कम से कम बल का प्रयोग करके हटा सकते थे । तो 9 बजे से लेकर साढ़े 5 बजे तक प्रशासन ने उनको हटाने की पहल क्यों नहीं की । जब अंधेरा होने लगा, जब शिफ्ट छूट गयी, और भी लोग आने लगे, जब सिनेमा छूट गया , और भी लोग आने लगे, जब कार्यालय छूट गए, और भी लोग आने लगे तथा 5 हजार की जगह 15-20 हजार लोग हो गए तब जान-बूझकर साढ़े 5 बजे बल प्रयोग करने का फैसला करना क्या प्रशासन के लिए बहुत ही गैर जिम्मेदार बात नहीं है । दिन भर लोग बैठे रहे तब आपने उनसे बातचीत नहीं की । अगर बलपूर्वक ही हटाना था, रेलें रोकीं तो गलत काम किया था, मैं मानता हूं, पर हटाना था तो दिन भर में क्यों नहीं हटा लिया गया । शाम के साढ़े 5 बजे हटाने की कोशिश होती प्रारंभ होती है । 5.45 पर गोली चलनी प्रारंभ होती है । गोली चलाने के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, वहां के प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया कि 5.45 पर गोली चलना प्रारंभ हुई और रात 8 बजे तक आखिरी गोली चलती रही । क्या इस तरह से बल का प्रयोग किसी भी प्रशासन के लिए किसी भी तरह से जस्टीफाइड हो सकता है, न्यायपूर्ण हो सकता है, गृह मंत्री जी इसका उत्तर देने की कृपा करें ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस पूरे हादसे के लिए जो राज्य शासन की पार्टी है उसकी अन्तः कलह तो जिम्मेदार नहीं है ? यह सब जानते हैं कि

[श्री अजीत जोगी]

आन्दोलन में बातचीत करने के लिए माननीय उद्योग मंत्री श्री कैलाश जोशी जी भिलाई गए थे जब 15 मई का आवाहन हुआ था । उन्होंने मजदूरों से बातचीत की । बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि 8 में 7 मांगों पर हम किसी एक निर्णय पर पहुंच रहे हैं । उसका समाधान हो जाएगा । क्या यह कारण साफ नहीं दिखता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्य मंत्री श्री पटवा जी और माननीय श्री कैलाश जोशी के बीच में द्वंद चला आ रहा है जो भेदभाव चला आ रहा है उसके कारण जब माननीय मुख्य मंत्री जी को यह लगा कि इसका क्रेडिट, इसका श्रेय माननीय उद्योग मंत्री जी ले जायेंगे तब उन्होंने प्रशासन को विशेष निर्देश दिया कि इस आंदोलन को हर तरह से पूरी ताकत से दबाया जाय, यदि नहीं दबायेंगे तो इसका पूरा श्रेय पूरा क्रेडिट उद्योग मंत्री जी ले जायेंगे जो मुख्य मंत्री के दूसरे दावेदार बनकर बैठे हैं । माननीय मंत्री जी यह भी बतायें . . . (**व्यवधान**)

श्री जगेश बेसाई (महाराष्ट्र) : यह तो अखबारों में सब आया हुआ है ।

श्री अजीत जोगी : सत्य अच्छा नहीं लगता है, पर सत्य सुन लीजिए . . . (**व्यवधान**) हमारे भाई मारे गए हैं इसलिए हमें दुख हुआ, दर्द हुआ, वेदना हुई है इसलिए हम यह कह रहे हैं . . . (**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : हमको भी दर्द है भाई, ऐसा नहीं है . . . (**व्यवधान**)

श्री अजीत जोगी : आप तो शेरो-शायरी कर रहे थे, आप तो छेड़खानी कर रहे थे ।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं जैसा कि इस बयान में उल्लिखित है कि एक सब इंस्पैक्टर की हत्या गोली चालन के पहले मजदूरों ने कर दी थी । मैं प्रत्यक्ष उस घटना के बहुत पहले पहुंचने वाले लोगों में से था . माननीय अध्यक्ष जी घटना के दूसरे दिन आप स्वतः पहुंच गए थे । प्रत्यक्षदर्शियों ने, वहां के लोगों ने, मजदूरों ने यहां तक कि प्रशासन के लोगों ने जो मुझे बताया वह यह बताया . . . (**व्यवधान**) और इस अधिकारी विशेष को मैं अच्छी तरह से जानता था . . . ।

उसने मेरे अधीन काम भी किया हुआ है, एक बहादुर और अच्छा अधिकारी और बड़े अच्छे परिवार का अधिकारी, जो अपने कार्य में दक्ष था, उसकी मृत्यु से मुझे भी दुख हुआ । मैं उसके घर भी बैठने गया था ।

पर मैं यह जानना चाहता हूं गृह मंत्री महोदय से, कृपया इस बयान में जो उल्लिखित है कि गोली चालन से पहले ही मजदूरों ने उसको घेर कर मार दिया, यह क्या आपको लगता है कि सही है ? यह बयान बिलकुल गलत है । वास्तविकता यह है कि जब भगदड़ मची, जब गोली चलने लगी, तब यह इंस्पैक्टर भी भीड़ के बीच में गया, एक किनारे कहीं मजदूरों के बीच में फंस गया—ऐसे मजदूरों के बीच में फस गया जो शायद उसको उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते थे और वहां उसके साथ मारपीट हुई और उसकी दुखद मृत्यु हुई ।

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जो उल्लिखित राज्य शासन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, यह केवल एक पेशबंदी अपने को बचाने के लिए, अपना बचाव पक्ष मजबूत करने के लिए नहीं किया गया है, क्योंकि जो दुखदद मृत्यु सब-इंस्पैक्टर की हुई, वह घटना गोली चलने प्रारंभ होने के बाद हुई न कि पहले हुई, जैसा कि इसमें उल्लिखित किया गया है ।

मैं एक और गम्भीर बात पूछना चाहता हूं । (**समय की घंटी**) यह जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा आन्दोलन चल रहा है, यह कोई भिलाई स्टील प्लांट की मांगों के संदर्भ में नहीं चल रहा है । यह केवल पांच बड़े उद्योगपति हैं, जिनकी इकाईयों में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ट्रेड यूनियन का जो संगठन बना है, उसको लेकर चल रहा है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पूरे परिवेश में माननीय शंकर गुहा नियोगी, जो मेरे व्यक्तिगत मित्र थे, उनकी हत्या जो की गई, उनका जो एक टेप रिकार्डेड वर्शन पहले से सब को उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि इन पांच उद्योगपतियों से मुझे भय है । यह मेरी हत्या करवा देंगे क्योंकि मैंने उनके उद्योगों की इकाईयों में संगठन बनाया है ।

मैं गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस आक्रोश के पीछे, इस आन्दोलन के पीछे यह कारण नहीं है कि उनमें से मुख्यत: एक उद्योगपति ,जिसका नाम बार-बार शंकर गुहा नियोगी जी की पत्नी ले रही है उसके साथी ले रहे हैं, जो शराब की बहुत बड़ी डिस्टिलरी का मालिक है, जो शराब की बहुत बड़ी यूनिट का मालिक है और मैं नाम लेने में भी नहीं हिचकूंगा, जिसका नाम केडिया है, उस उद्योगपति का एक बहुत ही चहेता व्यक्ति जिसका नाम यहां है किसी सदस्यों ने ––संभवत: आपने स्वत: लिया, सुभाष गुप्ता, वह पांच बजे के लगभग ... (**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उसका नाम उस रिपोर्ट में है, जो सबमिट की गई है ।

श्री अजीत जोगी : वह पांच बजे के लगभग खुद अपने कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर पहुंचा और उसने आपकी मदद की कि आप बल का प्रयोग करें । उसने वहां हुल्लड़ मचाया और उसने वहां पत्थरबाजी चालू कराई क्योंकि यह जो उद्योगपति है, बदनाम उद्योगपति है, जिसको बहुत से लोग संरक्षण देते हैं और मैं दलों की सीमाओं से उठ कर यह कहना चाहता हूं––हो सकता कि मेरे दल के लोग भी उसके साथ हों, हो सकता है कि आप के दल के लोग भी उसके साथ हों, पर जो भी उसके साथ है वह उसका गलत साथ दे रहा है ।यह उद्योगपति एक ऐसा उद्योगपति है, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जिसने टेलीविजन में अपना पद्रह मिनट का इन्टरव्यू करवा लिया सुबह, यह कह कर कि यह एक बहुत बड़ा समाजसेवी है । यह उद्योगपति एक ऐसा उद्योगपति है, उपसभाध्यक्षजी, जिसने राज्य शासन से अपना सम्मान करवा लिया––भारतीय जनता पार्टी के राज्य शासन से कि यह एक बहुत बड़ा समाजसेवी है । एक ऐसा उद्योगपति जिसको माननीय स्व० शंकर गुहा नियोगी ने यह कहा कि यह मेरी हत्या करवा देगा, यह उसका सब से बड़ा कंस्पीरेटर है । उस उद्योगपति ने अपने सबसे चहेते गुंडे सुभाष गुप्ता को वहां भेजा ।

क्या उसकी उपस्थिति वहां पुलिस के रिकार्ड में दर्ज है और उसने वहां पहूंच कर क्या इस स्थिति को इतना नहीं बिगाड़ा जिससे स्थिति बिगड़ी, गोलियां चली और इन पांचों इकाईयों में जो मजदूरों का संगठन बन रहा है ,वह रुक जाय, इसका जबाब माननीय गृहमंत्री जी अवश्य दें ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब उसके खिलाफ इतना प्रमाण है, तो हम उसको टेलीवीजन पर क्यों दिखाते है, केन्द्र शासन की तरफ से ?

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब उसके खिलाफ इतना प्रमाण, है तो र ाज्य शासन की तरफ से उसका सम्मान समाज सेवी की तरह से क्यों किया जाता है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब उसके खिलाफ इतना बड़ा प्रमाण है, तो उसको मुख्य अभियुक्त क्यों नहीं बनाया जाता ? और अभी माननीय कैलाश सारंग जी कह रहे थे कि सी० बी० आई० इंक्वायरी कर रही है, इसीलिए पलटन जो इसका मुख्य अभियुक्त है, वह पकड़ा नहीं गया है । (**समय की घंटी**) ठीक है पलटन नहीं पकड़ा गया, पर मैं यह जानना चाहता हूं कि इन उद्योगपतियों में से एक उद्योगपति जिसको सी० बी० आई० ने पकड़ा, चंद्रकांत शाह, वह पुलिस की अभिरक्षा से कैसे भाग गया ? वह पुलिस की अभिरक्षा तो राज्य शासन कर रहा था । उसको आप, पांच में से एक तो पकड़ते हैं आप, मुख्य केड़िया को तो पकड़ते नहीं हैं । जिसका नाम टेप-रेकार्डिड दर्ज है और जिसके नाम से आज मजदूर चिल्ला रहा है, कराह रहा है । एक उद्योगपति पकड़ा जाता है । उसको भी जानबूझ कर अपनी अभिरक्षा से छुड़वा देते हैं । यह सब क्या राज्य शासन के रुख को दिखा रहा है, इस पर गृह मंत्री जी प्रकाश डालें और बतायें कि इस तरह से राज्य शासन ने जो जान-बुझ कर मुख्य अभियुक्त को अभिरक्षा से छुड़वा दिया है उसके लिए कौन जिम्मेदार है

[श्री जीत जोगी]

मैं अंत में, योंकि कई बार घंटी बजा रहे हैं वैसे मेरे दिल में बहुत सी बातें हैं, मैं बहुत सी चीजें कहना चाहता था और मैं यह दिलों की बातें दलों से ऊपर उठ कर कहना चाहता था, पर आप से अंत में यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपसभाध्यक्ष जी कि गृह मंत्री जी यह भी प्रकाश डालें कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा तो सन् 1976-77 से चला आ रहा है सन् 1975 से चला आ रहा है गुहा नियोगी जी का यह संगठन है। केवल दो बार इस पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। एक बार सन् 1977 में हुआ था जब 40-50 लोग मारे गए थे और दूसरा सन् 1992 में हुआ जब अब भी मैं मानता हूं यह 16-18-20 लोग नहीं मारे गए हैं बल्कि 50 से कम लोग नहीं मारे गए हैं। ये दोनों बार क्या बात है कि क्यों ऐसा संहार ऐसा नरसंहार ऐसे समय में हुआ है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस में की सरकार नहीं रहती है, जब मध्य प्रदेश पूंजीपतियों को संरक्षण देने वाली सरकार होती है ? ऐसा क्यों बार-बार होता है, इसका जवाब गृह मंत्री जी दें ?

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, this is a detailed statement, no doubt, on the gruesome incident. By now we have heard many Members and we have heard the preceding speaker who was almost an eye-witness. There is hardly any doubt that this was a deliberate case of murder on which sufficient light could not be thrown by the Union Minister of State for Home Affairs. This statement is based on the report given by the State Government as a matter of Constitutional propriety. But, Constitutional propriety apart, in the meantime, this issue has been discussed from time to time and I think one of the main aspects, insofar as I can learn from the Press, periodicals and from conversations, is that it was mainly a demonstration not so much on the stated demands, but mainly for apprehending the culprits, the industrialists, who were behind the murder of Mr. Shankar Guha Neogi, who were shielded by the State Government and who are being shielded by the State Government.

The previous speaker, with intimate knowledge, could name the persons, could give the names and the names of the other goondas came in the Press. All in all, the entire incident is really very shocking, very gruesome and very revolting and it is unthinkable that anybody in this House can stand in support of this incident. The account given here really belies all beliefs. I have been in the midst of hundreds of demonstrations. In my student days, Calcutta witnessed the greatest movement, perhaps, against the trial of the INA officers and the entire Calcutta was on the streets. People came out with all their fury in the midst of it. The fact, the purported fact that has been stated here that a Sub-Inspector of Police was killed before there was any police action is something unbelievable. Even in the statement itself it is given that the workers were dispersing. It was at such a point of time that the Sub-Inspector was done to death. My previous speaker has mentioned the names, Subhash Gupta or so who has acted as agent provocateur creating conditions for the rampant firing on the unarmed workers who had been fighting against the industralists for their legitimate demands. If any Government in this country, and State Government or the Central Government is responsible for such an action, its condemnation should be universal. My previous speaker was repeatedly telling that it should be rising above parties. The question is not rising just above parties, but it is on the basis of certain cherished principles that we have to take our stand on certain occasions when the humanity really is in danger. That is what it was in Bhilai on the 1st of July. The railway traffic has been obstructed for the first time at Durg. That is as far as the name of the main railway station of Bhilai is concerned. In India, it is not for the first time that the trains are held up. Trains

are delayed for how long, we know. For whose fault? Nobody knows. And it was such an intolerable act that admittedly 15 persons—according to Swami Agnivesh, it was 36; according to my previous speaker, it was more than 50 had to give their lives in order to ensure the unfettered right of passage for the express and mail trains. This urgency is not seen in providing bread to the workers, in providing employment and in relieving the distress of the poorest of the poor. Madhya Pradesh is among the poorest of the poor State in India. That urgency is not seen in all these developmental activities. But all the urgency was manifested from the barrel of the gun in order to make way for the express trains from Howrah to Bombay. It is a funny argument which was given by a defender of this monstrous act of the Madhya Pradesh Government. A judicial enquiry has been ordered. Ultimately, it may be the be-all and end-all. The entire thing may be put under the carpet by this judicial enquiry. It was said that it would be referred to the High Court, and that the High Court would appoint a judge or an ex-judge, etc. Naturally we would like that he should be a sitting judge, preferably from the Supreme Court. That is number one. Secondly, the judicial enquiry should be in public. All concerned should be allowed to make their deposition in public before the judge appointed for the purpose of enquiry. If all those atoned for the death of so many precious lives, then, perhaps, that could be the least that they could do.

Thank you, Sir.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): As rightly mentioned by my colleague, it is a belated statement. This gruesome murder took place about 15 days back.

Without going into the details of political affiliations of the State Government, I would like to know from the hon. Minister whether the police was State police or the industrial security force or the CRPF. That has not been made clear in the statement.

We claim to be a developed country. We are no longer a developing country. We are sending our rockets into the space. But at the same time we are using the most primitive and crude method for controlling crowds. India is a democratic country and to agitate and demonstrate for our rights is permitted in a democratic set-up. But what we saw on the 1st of July is most primitive which is not resorted to in a developed country. We know that a modern method is used in other developed countries, that is the use of water cannons and rubber bullets. I know law and order is a State matter. I would like to know whether they would issue directive to the State Governments to see that the Central Reserve Police Force adopt this modern method of using water cannon or rubber or plastic bullets.

Agin, the Morcha has reservations when they say that the State Government is involved in organising State terrorism, and they have reasons to believe that the State judicial inquiry will be partial. As rightly mentioned by my colleagues, and also, Sir, you yourself mentioned, the State Government is involved in charging the injured people. It shows that the State Government is interested in suppressing the truth. Therefore, I would request the hon. Home Minister to see that this judicial inquiry by the State Government is conducted by a judge from some other State or from the Supreme Court.

These are my suggestons.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मौम अफजल: मोहतरम वाइस चेयरमेन साहब, मैं समझता हूं कि बहुत सारे जो सवालात उभरते थे, वह ज्यादातर लोगों ने पूछ लिए हैं। मैं सिर्फ चंद बातों तक ही सीमित रहूंगा। वह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि शंकर गुहा नियोगी के कत्ल के बाद, यह तकरीबन साबित हो गया है. वहां जो इंडस्ट्रलिस्ट हैं उनके और पुलिस के दरमियान और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ लोगों के दरमियान एक नेक्सेस बना हुआ है और गरीब मजदूर वर्षों से जूझ रहा है। जब यह मजदूर अपनी डिमांडस

[श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भोम अफजल]

लेकर जाता है तो मुख्तलिफ तरीकों से उसको दबाने की कोशिश की जाती है। अभी यहां कुछ सवालात उठाए गए कि प्रोवोकेशन हुआ, पुलिस के लोगों को मारा गया, एक औरत के बारे में भी कहा गया कि उसके कपड़े उतारे गए जो लेडी कांस्टेबल थी। अगर ऐसा है तो बहुत शर्मनाक है और अगर ऐसा है तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो वजीरे दाखला को वजूहात दी हैं और जो बयान उन्होंने यहां दिया है उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं? अगर किसी अखबार ने उसको छापा है तो उसकी तहकीकात क्या सरकार करेगी कि वाकई यह वाकया वहां हुआ है या नहीं हुआ?

दूसरे कुछ सवालात इस स्टेटमेंट से और हमारे पास यह छतीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की जो वजूहात और डिमांडस हैं, जो उसने बहुत सारे मेम्बराने-पार्लियामेंट को भेजी हैं, उससे उठते हैं। कल हमारी पार्टी के मिस्टर वी० पी० सिंह और मिस्टर बोम्मई वहां गए थे, हमारी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने भी आकर के बताया। हम यह पूछना चाहते हैं कि पहली जुलाई को जब लेबर डिपार्टमेंट में मजदूर गए तो, इसमें लिखा गया है कि बातचीत नहीं हो सकी, जारी नहीं रह सकी, लेकिन हमारी इन्फोरमेशन के मुताबिक वहां लेबर आफ़ीसर थे ही नहीं और जो मजदूर वहां पहुंचे पूरी उम्मीद के साथ कि उनके साथ कोई बातचीत होगी, नेगोशिएशन होगा और उनकी डिमांड पर हमदर्दी के साथ गौर होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था, तो सही स्थिति क्या है?

मैं यह कहना चाहता हूं कि वे मजदूर, जिनकी वर्षों से कुछ डिमांड है, जिनको पेट भर रोटी नहीं मिलती, जिनके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते, जिनकी गुरबत की कोई इंतिहा नहीं, जब वे कुछ डिमांड लेकर के आते हैं, इसमें डिमांड्स मौजूद हैं, हमारे बहुत सारे मेम्बरान ने उसकी तरफ इशारा भी किया है, मुझे नहीं लगता कि यह कोई ऐसी बहुत बड़ी डिमांड्स थी, जिनको पूरा नहीं किया जा सकता था। यह 9 डिमांड्स हैं और दसवीं डिमांड शंकर नियोगी के कातिलों को पकड़ने से ताल्लुक रखती है। मुझे लगता है कि यह लोग नौ डिमांड्स को पूरा कर सकते थे, बल्कि हमारे एक मेंबर ने यह भी कहा कि उनकी आठ डिमांड्स तो तकरीबन मान ली गयीं, लेकिन यह दसवीं डिमांड उनके बस की बात नहीं थी। वह नहीं चाहते थे कि जिस आदमी को सम्मानित किया जा रहा है, जो असल मर्डरर है, जोगी साहब मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और उस इलाके से उनका ताल्लुक है और जब वे बोल रहे थे तो मैं उनके जज्बात सुन रहा था। उससे अहसास हो रहा था कि यकीनन एक पूंजीपति ने एक मजदूर लीडर को मरवाया और मरवाने के बाद वह आजाद घूम रहा है। मैं तो एक मिनट यह मानकर चलता हूं कि प्रोवोकेशन होगा, जब किसी आंदोलन को चलाने वाले और गरीबों व बेकसूरों के साथ खड़े होने वाले लीडर को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया जायेगा तो आप यह कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि लोगों के जज्बात नहीं भड़केंगे, वह रेल की पटरियों पर नहीं बैठेंगे, वह आंदोलन नहीं चलायेंगे? यहां तक कि फिर उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं है। जिस दरवाजे पर वह जाते हैं वह दरवाजा बंद हो जाता है। चाहे वह सियासी दरवाजा हो, चाहे पूंजीपति का दरवाजा हो, चाहे उसके अपने कारखाने का दरवाजा हो। वह जहां जाता है उसको मायूसी ही हाथ लगती है। उसके बाद भी मुझे अफसोस है कि यह जो बयान आया है इसमें बहुत ही ढिठाई के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने यह साबित करने की कोशिश की है कि उसका कोई कसूर नहीं है। मैं समझता हूं कि इसका कोई जवाब नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को कबूल कर लेना चाहिए कि उससे गलती हुई और गरीब व बेगुनाह मजदूर मारे गये।

जब जो वाकया हो गया उस पर हम लोग क्या कहें। वे वापिस तो आ

नहीं सकते हैं। लेकिन जो मरने वालों की तादाद है इसको सही तौर से चैक करने की जरूरत है। बहुत से लोगों ने 60–70 भी कहा है। मंत्री जी के बयान में मरने वालों की संख्या 15 है। मुक्ति मोर्चे की तरफ से जो आया है उसमें 17 हैं। कल हमने बोम्मई साहब से बातें की। उन्होंने हमको बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें 16 बताया है। कुछ लोगों ने 18 भी कहा है कि बाद में मारे गये। लेकिन यह नहीं बताया गया कि जो इन्जर्ड हैं वह कैसे इन्जर्ड हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक 36 लोग गोलियों से इन्जर्ड हुए हैं। यह लोग भी मारे जा सकते थे। शर्मनाक बात यह है कि गरीब आदमी को मरने के बाद भी गरीबी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। उसके खून का दाम भी कम लगाया जाता है। मोतरम, मुझे याद है कि एक बार बिहार के इलाके में फसाद हुआ। फसाद होने के बाद एलान किया गया कि 10–10 हजार रुपया दिया जायेगा। उसके बाद ऐसे हालात पैदा हुए कि पूरे मुल्क में उससे एक फिजा बन गई और बहुत ज्यादा क्रिटिशिज्म होने लगा, कम्पन्शेसन अचानक बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया और उसकी बहुत पब्लिशिटी की गयी। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर कह रहा हूं कि हमारे मुल्क में गरीब आदमी के खून की कीमत भी वक्त के हिसाब से लगती है। इलेक्शन अगर हों तो मरने वाले का खून बीस हजार में बिकता है और फिर एक लाख में बिकने लगता है और अगर इलेक्शन न हों तो दस हजार देने में भी दम निकलता है लोगों का। दिल्ली में जो अभी दंगा हुआ और पांच लोग उसके अंदर मारे गये, मैं आपकी जानकारी के लिए अर्ज कर रहा हूं कि यह मरकजी हुकूमत के बिल्कुल जेरे इंतजाम अभी तक उन गरीब लोगों को जो बेगुनाह मारे गये, जवान बच्चे की गर्दन काट दी गयी, उनको कम्पन्शेसन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दिया। कितने लोग डिमांड करलें पर कुछ होता नहीं है। इसमें भी वही हुआ कि बड़े शानोशौकत के साथ यह एलान किया गया कि मरने वालों को तुरन्त दो-दो हजार रुपया दे दिया गया। दो हजार रुपये में बहुत सारे लोग जूता पहनते हैं आजकल।

कुछ सरकार को शर्म आनी चाहिए कि मरने वालों को क्या दे रहे हैं आप ? जिन लोगों को गोलिया लगी हैं पैरों के अंदर और जिस्म के अंदर, वह इन्जर्ड हैं, बहुत से ऐसे हैं जो मरने वाले हैं। उनको एक-एक हजार दिया गया है जिससे मेरा ख्याल है उनका 15 दिन का खर्च भी नहीं चल सकता अस्पताल का। प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ ऐलान किया, मैं समझता हूं कि वह ऐलान बहुत कम है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या हमारी मरकजी हुकूमत जो यह 10 हजार रुपए का ऐलान किया गया, इससे मुतमईन है। अगर मुतमईन है तो बतायें मंत्री जी कि 10 हजार रुपए काफी हैं अगर गरीब आदमी मरे उसके लिए; अगर मुतमईन नहीं है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह स्टेट गवर्नमेंट को आदेश देंगे या उसको रिक्वैस्ट करेंगे कि यह कम्पनसेशन बढ़ाया जाए;

फिर उसके बाद असली झगड़ा जहां से शुरू हुआ है, मैं समझता हूं वहां यूनियन

[श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल]

गवर्नमेंट को मुदाखलत करने की जरूरत है। तो जो डिस्प्यूट था, जो असली मामला है, इस घटना के बाद वह बैकग्राउंड में चला गया और फिर किसी वक्त वह सामने आ सकता है और अगर ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, ऐसी सरकारें रहीं जिनकी बंदूकें हमेशा तैयार रहती हैं और ऐसे ही पुलिस का व्यवहार रहा और इंडस्ट्रियलिस्ट लाबी का नेक्सस रहा तो यकीनन फिर गोली चल सकती है। तो क्या यूनियन गवर्नमेंट अपना गुड आफिस इस्तेमाल करेगी इस मसले को सुलझाने के के लिए ?

दूसरे, यूनियन का जो दफ्तर है, उसको वहां डैमेज किया गया और पुलिस ने वहां आज भी ताला डाल रखा है। उसका कोई जिक्र स्टेटमेंट में नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा मंत्री जी से कि क्या वह आदेश करेंगे कि यूनियन का जो दफ्तर है उसको खोला जाए। उसके पीछे भी एक मकसद है कि मजदूरों को कोई ठिकाना न मिले आर्गेनाइज होने का और आखिर में मैं यह पूछना चाहूंगा कि ये जो मजदूर मरे हैं, ये सब छोटे-छोटे कारखानों में काम करने वाले मजदूर थे, बहुत ही गरीब मजदूर थे। इनका कोई रिश्तेदार किसी बड़े कारखाने के अंदर काम नहीं करता होगा। क्या सरकार इनके परिवार के किसी निकट संबंधी को, बच्चे को या बीवी को, किसी सरकारी कारखाने में मुलाजमत देने का काम करेगी ? इन अलफाज के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी बात सुनी।

†مشری محمد افضل عرف م۔ افضل اتر پردیش
محترم وائس چیئرمین صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو سوالات اٹھے تھے۔ وہ زیادہ تر لوگوں نے پوچھ لئے ہیں میں صرف چند باتوں تک ہی سیمت رہوں گا یہ بات بالکل سپشٹ روپ سے سامنے آگئی ہے کہ شنکر گہا نیوگی کے قتل کے بعد یہ تقریباً ثابت ہو گیا ہے۔ وہاں جو انڈر کرنٹ ہیں ان کے اور پولیس کے درمیان اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کے درمیان ایک نیکس بنا ہوا ہے اور غریب مزدور ورشوں سے جوجھ رہا ہے۔ جب یہ مزدور ایجی ٹیشن سے کر جاتا ہے۔ تو مختلف طریقوں سے اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے ابھی یہاں کچھ سوالات اٹھائے گئے کہ پروکیشن ہوا۔ پولیس کے لوگوں کو مارا گیا۔ ایک عورت کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے کپڑے اتارے گئے جو لیڈی کانسٹیبل تھی۔ اگر ایسا ہے تو بہت شرمناک ہے اور اگر ایسا ہے تو اسٹیٹ گورنمنٹ نے جو زیر دفعہ کو وجوہات دی ہیں اور جو بیان انہوں نے یہاں دیا ہے اس میں اس کا ذکر کیوں نہیں۔ اگر کسی اعتبار سے اس کو چھپایا ہے تو اس کی تحقیقات کیا سرکار کرے گی کہ واقعی یہ واقعہ وہاں

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

آتے ہیں۔ اس میں ڈیمانڈس موجود ہیں۔ ہمارے بہت سارے ممبران نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔

مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایسی بہت بڑی ڈمانڈ تھی جن کو پورا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ تو ڈمانڈس ہیں اور دسویں ڈمانڈ شنکر نیوگی کے قاتلوں کے پکڑنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ تو ڈمانڈس پورا کر سکتے تھے۔ بلکہ ہمارے ایک ممبر نے یہ بھی کہا کہ ان کی آٹھ ڈمانڈس تو تقریباً مان لی گئیں۔ لیکن یہ دسویں ڈمانڈ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جب آدی کو سمانت کیا جا رہا ہے۔ جو اصل مزدور ہے۔ جو گی صاحب مدھیہ پردیش کے رہنے والے ہیں اور اس علاقے سے انکا تعلق ہے اور جب وہ بول رہے تھے تو میں ان کے جذبات سن رہا تھا۔ اس سے احساس ہو رہا تھا کہ یقیناً ایک پونجی پتی نے ایک مزدور لیڈر کو مروایا اور مروانے کے بعد وہ آزاد گھوم رہا ہے۔ میں تو ایک منٹ یہ مان کر چلتا ہوں کہ پروویکیشن ہوگا۔ جب کسی آندولن کو چلانے والے اور غریبوں و بے قصوروں کے ساتھ کھڑے ہونے والے لیڈر کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔

دوسرے کچھ سوالات اس اسٹیٹمنٹ سے اور ہمارے پاس چھتیس گڈھ مکتی مورچہ کی جو وجوہات اور ڈیمانڈس ہیں جو اس نے بہت سارے ممبران پارلیمنٹ کو بھیجی ہیں۔ اس سے اٹھتے ہیں۔ کل ہماری پارٹی کے مسٹر وی۔ پی۔ سنگھ اور مسٹر بوسی وہاں گئے تھے۔ ہماری پارٹی کے ادھیکش۔ انہوں نے بھی آکر کہا بتایا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پہلی جولائی کو جب لیبر ڈیپارٹمنٹ میں مزدور گئے تو اس میں لکھا گیا ہے کہ بات چیت نہیں ہو سکی۔ ہماری نہیں رہ سکی لیکن ہماری انفارمیشن کے مطابق وہاں لیبر آفیسر تھے ہی نہیں اور جب مزدور وہاں پہنچے پوری امید کے ساتھ کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی نیگوشیشن ہوگا اور ان کی ڈیمانڈ پر ہمدردی کے ساتھ غور ہوگا۔ لیکن وہاں کوئی نہیں تھا تو صحیح استھتی کیا ہے۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مزدور جن کی ورشوں سے کچھ ڈیمانڈ ہے۔ جن کو پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی۔ جن کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ جن کی غریبی کی کوئی انتہا نہیں جب وہ کچھ ڈیمانڈ لے کر

باتیں کی۔ انہوں نے ہم کو بتایا کہ کچھ لوگوں نے انھیں سولہ بتایا ہے۔ کچھ لوگوں نے ۱۸ بھی کہا ہے کہ بعد میں مارے گئے۔ لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ جو انجرڈ ہیں وہ کیسے انجرڈ ہیں۔ ہماری جانکاری کے مطابق ۳۶ لوگ گولیوں سے انجرڈ ہوئے ہیں۔ یہ لوگ بھی مارے جا سکتے تھے۔ شرمناک بات یہ ہے کہ غریب آدمی کو مرنے کے بعد بھی غریبی کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اسکے خون کا دام بھی کم لگایا جاتا ہے۔ محترم۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار بہار کے علاقے میں فساد ہوا۔ فساد ہونے کے بعد اعلان کیا گیا کہ ۱۰-۱۰ ہزار روپیہ دیا جائے گا۔ اسکے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ پورے ملک میں اس سے ایک فضا بن گئی اور بہت زیادہ کریٹیسزم ہونے لگا۔ کمپنسیشن اچانک بڑھا کر ایک لاکھ کر دیا گیا اور اس کی بہت پبلسٹی کی گئی۔ میں صرف مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں غریب آدمی کے خون کی قیمت بھی وقت کے حساب سے لگتی ہے۔ الیکشن اگر ہوں تو مرنے والے کا خون بیس ہزار میں بکتا ہے اور پھر ایک لاکھ میں بکنے لگتا ہے اور اگر الیکشن نہ ہوں تو دس ہزار دینے میں بھی دم نکلتا ہے لوگوں کا۔ دلی میں جو

جائے گا تو آپ یہ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات نہیں بھڑکیں گے۔ وہ ریل کی پٹریوں پر نہیں بیٹھیں گے۔ وہ آگزلری نہیں چلائیں گے۔ یہاں تک کہ پھانسی دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ جس دروازے پر وہ جاتے ہیں۔ وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے چاہے وہ سیاسی دروازہ ہو۔ چاہے پونجی پتی کا دروازہ ہو۔ چاہے اس کے اپنے کارخانے کا دروازہ ہو۔ وہ جہاں جاتا ہے۔ اس کو مایوسی ہی ہاتھ لگتی ہے۔ اس کے بعد بھی مجھے افسوس ہے کہ یہ جو بیان آیا ہے اس میں بہت ڈھٹائی کے ساتھ اسٹیٹ گورنمنٹ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اسٹیٹ گورنمنٹ کو قبول کر لینا چاہیے کہ اس سے غلطی ہوئی اور غریب و بے گناہ مزدور مارے گئے۔

اب جو واقعہ ہو گیا اس پر ہم لوگ کیا کہیں۔ وہ واپس تو آ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن جو مرنے والوں کی تعداد ہے اس کو صحیح طور پر چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں نے ساٹھ ستر بھی کہا ہے۔ منتری جی کے بیان میں مرنے والوں کی سنکھیا پندرہ ہے۔ ملکتی مورچہ کی طرف سے جو آیا ہے اس میں ۱۷ ہے۔ کل ہم نے بومئی صاحب سے

گیا اس سے مطمئن ہے۔ اگر مطمئن ہے تو بتائیں منتری جی کہ ۱۰ ہزار روپے کافی ہیں اگر غریب آدمی مرے اس کے لئے۔ اگر مطمئن نہیں ہیں تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیا وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو آڈرس دیں گے یا اس کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ کمپنسیشن بڑھایا جائے۔

پھر اس کے بعد اصل جھگڑا یہاں سے شروع ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہاں یونین گورنمنٹ کو مداخلت کرنے کی ضرورت ہے تو جو ڈسپیوٹ تھا۔ جو معاملہ ہے۔ اس گھٹنا کے بعد وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا اور پھر کسی وقت وہ سامنے آ سکتا ہے اور اگر ایسے انڈسٹریلسٹ رہے ایسی سرکاریں رہیں۔ جن کی بنیاد میں ہمیشہ تیار رہتی ہیں اور ایسے ہی پولیس کا ویوہار رہا اور انڈسٹریلسٹ لابی کا نیکسس رہا تو یقیناً پھر گولی چل سکتی ہے تو کیا یونین گورنمنٹ اپنا گڈ آفس استعمال کرے گی اس مسئلے کو سلجھانے کے لئے۔

دوسرے۔ یونین کا جو دفتر ہے۔ اس کو وہاں ڈیمینج کیا گیا اور پولیس نے وہاں آج بھی تالہ ڈال رکھا ہے اس کا کوئی ذکر اسٹیٹ منٹ میں نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ منتری جی سے

ابھی دنگا ہوا اور پانچ لوگ اس کے بعد مارے گئے۔ میں آپکی جانکاری کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مرکزی حکومت کے بالکل زیر انتظام ابھی تک ان غریب لوگوں کو جو بے گناہ مارے گئے۔ جن بچے کی گردن کاٹ دی گئی۔ ان کو کمپنسیشن دلی ایڈمنسٹریشن نے نہیں دیا۔ کتنے لوگ ڈمانڈ کولیس پر کچھ ہونا نہیں ہے اس میں بھی وہی ہوا کہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا کہ مرنے والوں کو ترنت دو دو ہزار روپیہ دے دیا گیا دو ہزار روپے میں بہت سارے لوگ جوتا پہنتے ہیں آجکل۔

کچھ سرکار کو شرم آنی چاہیئے کہ مرنے والوں کو کیا دے رہے ہیں آپ۔ جن لوگوں کو گولیاں لگی ہیں پیروں کے اندر جسم کے اندر وہ انجوڈ ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جو مرنے والے ہیں۔ ان کو ایک ایک ہزار روپیہ دیا گیا ہے جس سے میرا خیال ہے۔ ان کا ۱۵ دن کا خرچ بھی نہیں چل سکتا اسپتال کا۔ پرائم منسٹر نے بھی کچھ اعلان کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اعلان بہت کم ہے۔ تو میں منتری جی سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہماری مرکزی حکومت جو یہ ۱۰ ہزار روپے کا اعلان کیا

کوئی رشتہ دار کسی بڑے کارخانے کے اندر
کام نہیں کرتا ہوگا کیا سرکار ان کے پریوار
کے کسی نکٹے سمبندھی کو، بچے کو، بیوی
کو کسی سرکاری کارخانے میں ملازمت
دینے کا کام کرے گی۔
ان الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا
کرتا ہوں کہ آپ نے میری بات سُنی۔
"ختم شد"

کیا وہ آدیش کریں گے کہ یونین کا جو
دفتر ہے اس کو کھولا جائے۔ اس کے
پیچھے بھی ایک مقصد ہے کہ مزدوروں کو
کوئی ٹھکانہ نہ ملے آرگنائز ہونے کا اور
آخر میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ
جو مزدور مرے ہیں۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے
کارخانے میں کام کرنے والے مزدور تھے
بہت ہی غریب مزدور تھے۔ ان کا

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, this is actually not only a belated statement but it appears to me that it is a carbon copy of the statement prepared by the people who had been responsible for the mureder of those poor Adivasi workers in that region. The first point I would like to know from the hon. Minister is whether this statement has been prepared on the basis of the information collected by its own agency. If the statement has been prepared on the basis of the information given by the Government of Madhya Pradesh, there is no reason to believe that this statement reflects the correct state of affairs. Every one of us in his House knows that that particular area, Chhatishgarh area, is a place of inhuman torture and atrocity perpetrated by the people having money and power for a pretty long time. The workers engaged by the contractors, the workers who have been engaged in the mining industry or the workers who are doing the casual type of work there, have been subjected to terror, atrocity and exploitation by the industrialists and the people who make money in collusion with the political power for a long time. It is not only because the BJP Government is in power that we find a case of atrocity there. Even before, when a different political party was in power there in the particular area of the country, the same sort of exploitation and terror was carried on. Therefore, the story is one of perpetual terror and exploitation. And it is possible because the laws of the land are not taken into consideration by succesive Governments and it is because there is a nexus between the people who exploit the Adivasi workers and the people who are in power. But it is absolutely true that the incident of police firing, when the BJP is in power, is perhaps the rarest category of inhuman cruelty and atrocity. During our political life we have encountered police atrocities in many parts of the country but really it is absolutely exceptional because so many people died in a single day's incident.

The second question that arises from the statement is why it became necessary to clear the railway track so urgently. The train was halted by the demonstrators. The train could have been halted for a few more hours. What was the necessity of urgently clearing the track? The answer is that a police officer died, the demonstrators pelted stones and unarmed workers had indulged in violence! That is always the story given by the people who indulge in

firing. It is not this particular case alone. But the question is why it became so urgently necessary to clear the railway track. The Administration could have waited, the police could have waited, and if some more hours were wasted, at least that would have been much less valuable to the society than the loss that the society incurs by this act of brutality. Therefore, in the name of clearing the railway track the people in power tried to find an excuse for the firing. The excuse for the firing—the reason that they seek to give—is that the track had to be cleared.

Thirdly, Sir, I would like to know why it was necessary to resort to firing. Why was lathi-charge not resorted to, why was tear-gassing not done? Why were tear gas shells not fired? Successive rounds of tear gas shells could have been fired. I do not know if the hon. Members sitting on that side of the benches have been in any demonstration facing firing and tear gas shells. I do not know if those hon. Members of Parliament had the experience. We had the experience. In our younger days, in our student days, we faced bullets, tear gas shells and lathi-charge. We know how brutal it is. Tear gas shells could have been continued. Successive doses of tear gas shells could have continued. I say what I mean. Tear gas shells could have been continued for an unlimited period without resorting to firing.

This incident is actually a warning to the party in power in Madhya Pradesh. This may act as a boomerang. Please believe, in some parts of the country you are in power, in some parts of the country you are not. What has been your complaint when the Janata Government in Uttar Pradesh had resorted to administrative measures, police action, during the communal frenzy? What was your reaction? What was the reaction of the same set of politicians during the Mandir-Masjid clashes? If you call that an act of cruelty, why do you call this act an act of necessary cruelty? It was not necessary. This action on your part provokes, in the same way, not only antagonistic, popular, reaction but it also provokes, in the same way, administrative retaliation, maybe in the coming period. Let us believe that we are living in a civilised world. It is shameful that people find excuses for firing. It is not shameful because of the tragedy of the firing itself; it is shameful because the political workers and leaders who swear in the name of God and Ram and political and popular referendum, seek to believe that bullets were necessary in this case. It is not shameful because some people died: it is shameful because by resorting to such a behaviour man himself becomes a beast. Man becomes a beast by behaving as a beast because he is upholding the argument of a beast. That is where man uses his intellect. That is where man uses his creative capability. That is where man dehumanises his own quality. It is tragic, more tragic than the death of the people. It is tragic that the politicians of this or that category seek to defend firing, not only defend firing but seek to convince the House that it became necessary. It is tragic. Let us not dilute India's freedom in the way we are doing it.

Therefore, Sir, my last question to the Government of India will be: Do you think that there should be a parliamentary delegation to visit that part of the country because there is a complaint that atrocities are still going on? Therefore, it is not a question of awarding compensation or it is not a question of ordering a judicial inquiry by a sitting or a retired Judge of a High Court: it is a question of knowing the things for ourselves. It is not to depend on the Government which is accused of the cruelty. Therefore, my question is whether the Government will kindly consider the question of sending an all-party delegation, sponsoring an all-party delegation, to visit that part and to know for itself actually what the present situation is. I hope that the Government of India will kindly and sympathetically consider this question.

श्रीमती सत्या बहिन: धन्यवाद उप-सभाध्यक्ष महोदय कि आपने इस विषय पर बोलने का मौका दिया। यह जो बयान गृह मंत्री जी से आया है जाहिर है राज्य सरकार द्वारा दिये गये तथ्यों पर ही आधारित है जिसमें बहुत सी विसंगतियां हैं। इससे मालूम पड़ता है कि राज्य सरकार जो पूंजीपतियों को सरक्षण देने वाली सरकार है उसने पूरी तरह से अपनी लापरवाही को और गैर जिम्मेदारी को लीपापोती करने का प्रयास किया है। इसमें दिया गया है कि मजदूरों की मांगों को लेकर समझौता हो गया था और दूसरी तरफ उन्होंने इस बात को कहा कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। इससे साफ जाहिर है कि कोई समझौता हुआ ही नहीं था। कोई मांगें भी उनकी मानी नहीं गई थी। इसमें जून महीने में सम्पन्न हुई बैठकों की शृंखला भी बताई गई। मैं यह पूछना चाहती हूं कि इसमें कितनी और बैठकें हुई और वे वार्ताएं क्या अपक्षीय वार्ताएं थीं जिसमें मजदूर संगठन, सरकार और मैनेजमेंट तीनों थे? क्या राज्य सरकार ने उसमें मध्य-स्थता का काम किया था? इस बयान में यह भी कहीं स्पष्ट नहीं होता है कि जो कामगार आंदोलन कर रहे थे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के थे या गैर सरकारी क्षेत्र के? जाहिर है कि मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुल्य इलाका है। जहां आदिवासी मजदूरों का पूरी तरह से शोषण होता है। उनको कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है। उन मजदूरों को लाठियों से मारा गया श्रमिक मजदूरों को इतना मारा गया कि उनकी सामूहिक हत्या हुई। मैं इसको सामूहिक हत्या की संज्ञा देती हूं। सरकार ने जो बयान भेजा है वह लीपापोती वाला बयान भेजा है। उसमें बताया है कि उन्होंने लाठियों से भी हमला किया जिससे लगता है जितने मजदूर वहां पर धरने पर बैठे हुए थे वे लाठियां लेकर आये हुए थे। वे लाठियां लेकर आये हुए थे, इसलिए कहा गया है कि हिंसा पर उतारू थे, यह गलत है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इसमें पूरी तरह से गैर जिम्मेदारी का इजहार किया है। वहां पर कितने राउण्ड गोली चली, इसका जिक्र नहीं है और हवाई फायर की गई या नहीं, इसका भी जिक्र नहीं है। यह कहा गया है कि आंसू गैस छोड़ी गई, यह भी गलत बयानी है। वहां पर आंसू गैस छोड़ी ही नहीं गई। एकदम से उन पर हमला कर दिया गया था। यह कहा गया है कि महिलायें पटरी पर थीं। इसका मतलब है कि वे पूरी तरह से शांतिपूर्ण थे और वह आन्दोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। उन मजदूरों का हिंसा का कोई इरादा नहीं था। वे अपने न्यायिक अधिकारों के लिए आन्दोलन कर रहे थे। वहां पर तीन हजार कामगारों और चार सौ महिलाओं के धरने पर बैठने का जिक्र है। अगर ये लोग हिंसा पर उतारू होते तो तोड़-फोड़ करते और कोई अवरोध पैदा करते। उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की। ये केवल पटरी पर बैठे रहे और अपना विरोध जाहिर करते रहे ताकि उनको न्याय मिले। मैं यह कहना चाहती हूं कि शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद से यह आन्दोलन चल रहा था। लेकिन इसको दबाया जा रहा था। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में डाला सीमेन्ट फैक्ट्री में मजदूरों की हत्या हुई उसी प्रकार से भिलाई में भी मजदूरों की हत्या कर दी गई है। दोनों प्रदेशों में पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकारें मजदूरों के अधिकारों का हनन करती हैं। उनसे न्याय की आशा नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी और ईमानदारी से वहां पर जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसके जो भी कारण रहे हों, उनकी सही मायनों में जानकारी लेकर सदन में आएंगे जिससे यह पता चल सके कि वास्तविक स्थिति क्या है? वहां की सरकार से मजदूरों के संरक्षण की आशा करना गलत है। वहां की सरकार पूरी तरह से मजदूरों का शोषण करती है। वह पूंजीपतियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। उनसे किसी तरह की आशा करना,

समय बरबाद करना है। इसलिए केन्द्रीय सरकार से मैं न्याय की मांग करती हूं क्योंकि ये मजदूर पहले रेलवे की पटरी पर भी बैठे थ जो इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार से उन्हें कोई आशा नहीं थी। इसलिए केन्द्रीय सरकार इस ओर ध्यान दे। यह राज्य सरकार ने यह गोली काण्ड कराया है।

श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलूवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, भिलाई की इस नृशंस घटना की जितनी भर्त्सना की जाय उतनी कम है। यह एक बड़ी सोची-समझी और बैठकर सारा षड्यंत्र रच कर घटना घटाई गई है क्योंकि यह लड़ाई कामगारों के आन्दोलन के माध्यम से शुरू हुई। जो भी व्यक्ति चाहे वे ससद सदस्य हों, जो मजदूर आन्दोलन से जुड़े होते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि हर कारखाने में जिस तरह से हम लोग बंधुवा मजदूरों को मुक्ति दिला रहे हैं उसी तरह से ठेकेदारी की प्रथा से मुक्ति दिलाने का आन्दोलन भी चला हुआ है और भिलाई जैसे शहर में ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जैसी संस्था भी यही मांग कर रही थी। सारंग साहब ने ठीक ही कहा कि इस स्टेटमेंट में साफ-साफ लिखा हुआ है। उनकी करीब करीब सारी मांगें मान ली गई थी, सिर्फ एक मांग नहीं मानी गयी थी और वह मांग थी छटनीग्रस्त लोगों को फिर से बहाल करने की। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस पूरे बयान में कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि कितने लोग छटनीग्रस्त थे और जो 16 या 18 लोग मारे गये हैं वह भी क्या छटनीग्रस्त मजदूर थे? पुलिस ने क्या यही बहाना ढूंढ़ लिया ताकि छटनीग्रस्त मजदूरों को नौकरी न देनी पड़े और इसलिये उनको गोलियों का निशाना बना दिया? मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कितने लोग छटनीग्रस्त थे, कितनों के मामले लंबित थे? जो 15 आदमी मारे गये हैं, जिनमें से 13 की लाश पहचान ली गयी है, उनमें से ऐसे कितने लोग थे जो छटनीग्रस्त थे?

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसे कि हमारे माननीय सदस्य जोगी साहब ने बताया, और भी बहुत सारे सदस्यों ने बताया और आपने भी अपना प्रश्न पूछते हुए बताया कि वहां जो एक उद्योपति हैं केडिया, जिसको न केवल वहां के जिला प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है बल्कि राज्य सरकार के जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, चा वह राजनैतिक हों और चाहे वह प्रशासनिक हों, जब भी वे भिलाई का दौरा करते हैं तो उनके घर पर कबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात को डिनर तक उनका बंदोवस्त वहां होता है। बहुत सारे नेता, बहुत सारे संसद सदस्य, बहुत सारे एम.एल.ए. और बहुत सारे मिनिस्टर उनके घर पर जाकर ठहरते हैं, रुकते हैं। अब ऐसे आदमी के खिलाफ एक गरीब मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी की विधवा पत्नी चाहे कितना चीत्कार कर न्याय की मांग करे तो उसकी मांग कभी पूरी नहीं हो सकती है। जिला प्रशासन का हाथ उसकी गिरेबान तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक प्रशासनिक पदाधिकारियों, राजनैतिक पदाधिकारियों और मंत्रियों का संरक्षण उसे प्राप्त है। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी साधारण सी बात है, यह रिकार्ड की बात है और इस बारे में इन्क्वायरी कराई जा सकती है कि ये सज्जन इंजीनियरिंग कालेज भी चलाते हैं। इन्होंने अपने उस इंजीनियरिंग कालेज के माध्यम से तमाम राजनैतिक नेताओं को अपने प्रति कृतज्ञ रहने का एक सिलसिला चलाया हुआ है। बड़े आराम से यह बात इन्क्वायरी से पता की जा सकती है कि गवर्निंग बाडी ने किस किस बी.जे.पी. के नेता के, किस किस प्रशासनिक पदाधिकारी के बच्चे का वहां एडमिशन हुआ है और उनसे उनके क्या ताल्लुकात हैं। महोदय, यह सारी घटना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यह षड्यंत्र रचकर वहां निहत्थे लोगों पर किस तरह से बर्बरता से लाठी चार्ज करके, अश्रुगैस चलाकर और गोलियां चलाकर मारा गया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं कि कितनी राउंड गोलियां चली? आट

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

कहते हैं कि 115 आदमी गोलियों से घायल हुए। लेकिन कितने राउंड गोलियां चली जिसके कारण 15 आदमी बराशायी हो गये, मारे गये और 115 आदमी घायल हो गया। आपने हिसाब दिया है कि 63 घायलों को दुर्ग अस्पताल में और 9 घायलों को भिलाई अस्पताल में भर्ती किया गया है और 65 राज्य प्रशासन के लोग घायल हुए हैं यह हिसाब दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन 65 में से कितनी महिला पुलिस बल की महिलायें हैं जो घायल हैं? अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां महिला पुलिस बल की बेइज्जती की गयी, उनको निर्वस्त्र किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी महिला पुलिस बल की सैनिक वहां घायल हुई हैं, यह जरा बताने का कष्ट करें।

जब पटरी से महिलायें हटायी जा रही थी उस वक्त वहां महिला पुलिस बल थी या नहीं थी? मेरी इन्फर्मेशन है कि वहां महिला पुलिस बल उपस्थित हो नहीं था। तो आप यह भी बताने की कृपा करें। उपसभाध्यक्ष महोदय राज्य सरकार ने वहां पर ज्यूडिशियल इन्क्वायरी करने की घोषणा की है किन्तु 115 आदमियों को गोली लगी, कितने राउंड गोली चली, उसका हिसाब नहीं बताया गया। कितने टीयरगैस शैल चलाए गए, यह भी नहीं बताया गया? इस घटना के कारण कितने पदाधिकारी सस्पेंड किये गये, यह भी नहीं बताया है? मैं मांग करता हूं कि अगर इसकी इन्क्वायरी सही तरीके से आपको चलानी है तो आपने अब तक वहां के जिला पदाधिकारियों को सस्पेंड क्यों नहीं किया? उनके रहते वहां पर ज्यूडिशियल इन्क्वायरी क्या करेंगे, खाक करेंगे। वहां तो लीपा-पोती होगी। वहां के पदाधिकारियों की रक्षा करने के लिए और उद्योगपतियों की रक्षा करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार होगी और दो सौ-ढाई सौ पेज की रिपोर्ट हमारे सामने रख दी जाएगी। मैं मांग करता हूं सदन की तरफ से कि वहां जो भी पदाधिकारी थे जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था, गोली चलाई गई, लाठी चलाने का आदेश दिया था, लाठी चलाई गई, टीयरगैस चलाई थी, उन पदाधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। उनको सस्पेंड करने के बाद ही वहां इन्क्वायरी शुरू होनी चाहिये। मैं सहमत हूं हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब गरीब का खून बहता है तो उसकी कोई कीमत नहीं डाली जाती है। मैं मांग करता हूं कि वहां जो भी मृत परिवार हैं उन्हें कम्पनसेशन के रूप में कम से कम 50 हजार रुपये पर हेड दिये जाएं और साथ ही उनके डिपेंडेंट्स को भिलाई कारखाने में नौकरी दी जाए। आज वहां का प्रशासन शिथिल पड़ा है। एक उद्योगपति जिसने शंकर गुहा नियोगी का खून कराया पुलिस की कस्टडी से भाग गया लेकिन आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हर दूसरे दिन दूरदर्शन पर सी.बी.आई. की तरफ से फोटो दिखाया जाता है, उसको गुमशुदा करार दिया जाता है। कुछ दिन बाद उसको एब्स्कांउडर घोषित कर के फैसला कर दिया जाएगा। आज यहां का पुलिस बल इतना निर्बल हो गया कि एक ऐसा उद्योगपति जिसने एक लेबर लीडर जो कि गरीब की आवाज उठाता था उसकी हत्या करवा दी उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। उसको पकड़ने की व्यवस्था की जाए। इन 9 मांगों के साथ उनकी सब से बड़ी यही मांग थी और वह पूरी की जानी चाहिये। इसके साथ साथ मैं सहमत हूं गुरुदास गुप्ता जी से जिन्होंने मांग की है कि एक सर्वदलीय टीम पार्लियामेंट के सदस्यों की भिलाई विज़िट करे तथा जो भी लोग इस घटना से ग्रसित हो कर इंज्योर्ड हुए हैं उनसे भेंट मुलाकात करे और सारी घटनाओं का अध्ययन कर के अपनी रिपोर्ट सदन को पेश करे।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसके संबंध में स्पष्टीकरण जानने के लिए मैं अत्यंत दुखी मन से खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं उसी प्रदेश से हूं जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के रहते वहां के मुख्य मंत्री श्री

सुन्दर लाल पटवा के इशारे पर पुलिस ने न केवल तांडव नृत्य किया है बल्कि निहत्थे मजदूरों की नृशंस हत्या की है। यह बड़े अफसोस की बात है कि इससे संबंधित जो वक्तव्य माननीय गृह मंत्री जी ने दिया है यदि मुख्य मंत्री, मध्य-प्रदेश को इस संबंध में वक्तव्य देने की बात कही जाती तो मेरी मान्यता है कि अक्षरशः वह भी केवल यही वक्तव्य देते, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह जो वक्तव्य दिया गया है, मेरी अपनी यह सूचना है कि यह केवल राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दिया गया है। गृह विभाग ने अपनी ओर से इससे संबंधित अन्य जानकारियां एकत्रित करने का प्रयास नहीं किया। राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर जो यह वक्तव्य जारी किया गया है, मेरा ऐसा कहना है कि यह वक्तव्य वहां के जिलाधीश द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी जब अपना उत्तर देंगे तब मुझे विश्वास है कि इस संबंध में वे स्पष्टीकरण देंगे। यह वक्तव्य दुर्ग के कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर है या किसी अन्य अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर है? क्योंकि मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है और दिल्ली के समाचार पत्रों में, कल के 'नवभारत टाइम्स' में भी यह प्रकाशित हुआ है कि जो गृह विभाग ने जानकारी चाही है पर राज्य सरकार ने जो जानकारी भेजी है वह जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर नहीं भेजी है। इसलिए मेरा पहला स्पष्टीकरण यह है।

दूसरा, माननीय, वक्तव्य में इस बात का उल्लेख बिल्कुल नहीं है कि पुलिस फायरिंग किसने की, किसने करवायी, किसके आदेश से हुई? जैसे मेरे साथी भाई अहलुवालिया जी ने कहा कि कितने अश्रु गैस के गोले छोड़े गये, कितनी बुलेटस का उपयोग किया गया और कितने समय तक फायरिंग हुई, फायरिंग का समय कब से कब तक था? मेरी अपनी जानकारी है कि बगैर चेतावनी के अश्रु गैस के गोले चलाये, सीधे वहां के निहत्थे मजदूरों पर गोली चालन हुआ। लेकिन वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया गया है क्योंकि जीरो आवर में जब हम लोगों ने इस बात की मांग की थी तो इस बात पर जोर दिया था। इसलिए ऐसी सूचना तैयार की गयी। तो मैं जानना चाहूंगा कि समय बताया जाए कि कितने समय से कितने समय तक चेतावनी दी गयी, कितने समय से कितने समय तक लाठी चार्ज हुआ, कितने समय से कितने समय तक अश्रु गैस के गोले छोड़े गये, कितने समय से कितने समय तक हवाई फायरिंग हुई? जो बिल्कुल नहीं हुई और कितने समय से कितने समय तक मजदूरों पर सीधी गोली चली? मेरा स्पष्टीकरण है कि कितने निहत्थे मजदूर मारे गये? क्योंकि उनका जो दाह संस्कार हुआ वह 3 जुलाई को किया गया। एक जुलाई को हत्या हुई और 3 जुलाई को दाह संस्कार किया गया। उन बाडीज का आइडेंटीफिकेशन कब हुआ? मेरी अपनी जानकारी के हिसाब से दो मृतक ऐसे थे जिनका आइडेंटीफिकेशन एक जुलाई को नहीं हुआ... (**समय की घंटी**)

मैं वहीं का रहने वाला हूं। मैं उस प्रदेश से हूं। मैं भिलाई से होकर आया हूं। मेरा भिलाई के मजदूरों से संबंध है और मेरे पास अनेक ऐसे पत्र हैं जिनमें छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से संबंधित मजदूर लोगों ने इस बात की पहले भी आशंका व्यक्त की थी कि उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए मुझे थोड़ा समय दिया जाए।

मैं यह कह रहा था कि दो लोगों का आइडेंटीफिकेशन एक जुलाई को नहीं किया गया जबकि वे वहीं के रहवासी थे। इसकी क्या वजह है? उनका आइडेंटीफिकेशन कब किया गया? अगर बाद में आइडेंटीफिकेशन उन बाडीज का किया गया तो बाद में करने के क्या कारण थे यह मैं जानना चाहता हूं। कितने घायल लोगों को उस दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया? उनके उपचार की व्यवस्था नहीं थी। पर्याप्त उपचार की व्यवस्था न किये जाने से वहां से लोग चले गये

[श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलुवालिया]

और जिन मजदूरों को गिरफ्तार किया गया वह उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो अस्पताल में भर्ती थ । ऐसे कितने लोग थे यह मैं आपसे जानना चाहता हूं ।

यह बताया गया कि 9 सूत्री मांगें थी । इनमें से केवल एक मांग का जिक्र किया गया है वह नहीं मान पाए थ । तो जो बाकी मांगें थी उनका क्रियान्वयन हुआ कि नहीं ? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन मांगों का अभी क्रियान्वयन मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं हुआ है जबकि वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया जा रहा है कि उनको मान लिया गया है । केवल एक मांग रह गयी है जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है । कि श्रम विभाग की उस अतिरिक्त मांग जोकि मंजूर नहीं की गई, उसके बारे में क्या टिप्पणी थी ?

मेरी अपनी जानकारी के हिसाब से श्रम विभाग ने अनुशंसा की थी कि उस मांग को भी मान लिया जाए । केवल जो मेरे से पूर्ववक्ताओं ने जिस बात का जिक्र किया है कि वह केवल भारतीय जनता पार्टी के अंतरकलह का परिणाम था । कैलाश जोशी जी पहले वहां भेजे गये । कैलाश जोशी जी को मध्यप्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी श्रेय नहीं देना चाहते थे । इसलिए यद्यपि श्रम विभाग ने अनुशंसा की थी, उसको पेंडिंग रखा । और तो और, दूसरी भोपाल के मंत्री, आदरणीय कैलाश सारंग जी के इलाके के, जो मेरे भी इलाके के हैं, बाबू गौड़ साहब को भेज दिया गया । जब कैलाश जोशी साहब खुद वहां मौजूद थे, तो बाबू लाल गौड़ को वहां भेजने का क्या औचित्य था ? यह भा०ज०पा० की अंतरकलह को, मान्यवर, दर्शाता है ।

तीसरी बात, जो न्यायिक जांच की बात की गई है, उसके टर्म्स आफ रेफरेंस क्या होंगे, कितने समय में यह न्यायिक जांच पूरी होगी और जो अहलुवालिया जी ने बात कही, वह बड़ी अहम बात है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी है प्रायः कि वहां का प्रशासन शासन के के इशारे पर कटपुतली बने हुए मजदूरों पर जुल्मो-सितम ढा रहा है, तो न्यायिक जांच निष्पक्ष रूप से हो पायेगी, इस बारे में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है । इसलिये वहां के अधिकारियों का, निष्पक्ष जांच होने के लिए, अविलम्ब स्थानांतरित किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है ।

मान्यवर, तनाव का वातावरण वहां लम्बे समय से था । उस तनाव के वातावरण को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने क्या प्रयास किये, इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया । यह भी मेरा आपके माध्यम से क्लैरिफिकेशन है ।

सभी लोगों के नाम और पते जो दिये गये हैं, क्या वही नाम और पते हैं--मैं यह भी जानना चाहूंगा क्योंकि मेरी अपनी जानकारी के हिसाब से कुछ के पते भी गलत हैं । जिन इंडस्ट्रीज को चलाया जाना बताया गया है उस तारीख में कि इन इंडस्ट्रीज में पूरे मजदूर काम कर रहे थे, उन इंडस्ट्रीज के मजदूरों का भी उल्लेख है मृतकों की संख्या में--मैं वह भी जानना चाहूंगा और तो और उन इंडस्ट्रीज में पहले काम कर रहे मजदूरों का भी उल्लेख है । वह वहां से हटा दिये गये थे और बदले की भावना से उनको पुलिस के इशारे पर मारा गया । ऐसी कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें पहले लोग काम कर रहे थ, उनको हटा दिया गया और बाद में उनको मौत का शिकार बना दिया गया ?

क्या सभी घायलों को कंपेन्सेशन दिया गया है ? मेरी अपनी जानकारी के हिसाब से सभी घायलों को कंपेन्सेशन नहीं दिया गया है । जो संख्या प्रशासन ने दर्शायी है, जो संख्या एस०पी० ने अपनी रिपोर्ट में दर्शायी है, उस पूरे की पूरी संख्या वालों को कंपेन्सेशन अभी तक नहीं मिल पाया है । तो सारे लोगों को कंपेन्सेशन कब तक मिल पायेगा ? कंपेन्सेशन की राशि कम है, इस बात का जिक्र मेरे

साथियों ने किया--दस हजार और दो हजार दी गई है ।

मान्धवर, सीहोर में एक बस की दुर्घटना हुई थी । आदरणीय सारंग जी यहां मौजूद हैं । यह बस अयोध्या जा रही थी । उस दुर्घटना में जो मृत लोग थ, राज्य शासन ने एक-एक व्यक्ति को पचास हजार रुपये दिया था । तो उस बस के मृतकों को, जो अयोध्या जा रही थी, उनको पचास हजार, और जो मजदूर अपने अधिकार के लिए जद्दो-जहद कर रहे थे, उन्हें मात्र दस हजार--यह कौनसा औचित्य है । यह भेद-भाव क्यों है ।

इसलिए वह राशि भी बढ़ाई जाए ।

मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि जिन मजदूरों ने पूर्व में मारे जाने की आशंका व्यक्त की थी, अभी भी उनके जो मेरे पास पत्र आये हैं, उसमें उल्लेख है कि आगे भी उनके मारे जाने की आशंका है, क्योंकि जो प्रशासन है, वह पूंजीपतियों के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में काम कर रहा है । इसलिए आगे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के मजदूर हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार क्या उपाय कर रही है, या केंद्रीय सरकार की तरफ से किस प्रकार के निर्देश दिये जाते हैं, यह मैं आपके माध्यम से स्पष्टीकरण जानना चाहूंगा ।

रही बात कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किस माने में, किस रूप में और किस मानसिकता के साथ काम कर रही है--यदि कांग्रेस का सदस्य होते हुए मैं यह बात कहूंगा तो यह लगेगी कि यह अतिश्योक्तिपूर्ण बात कही जा रही है, ईर्ष्या और द्वेष से कही जा रही है, लेकिन जब मजदूरों को मौत का शिकार होना पड़ता है, जब किसानों के साथ जुल्मो-सितम ढाये जाता है, जब हरिजन, आदिवासियों और मजदूरों पर अत्याचार किया जाता है, तो निश्चित रूप से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उस राज्य सरकार को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है ।

इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि वह उन लोगों पर भी केस चलाए जिन लोगों के निर्देशन पर, जिन लोगों के आदेश पर गोली चालन हुआ था और उस भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार को बर्खास्त करे ।

SHRI M. M. JACOB: Mr. Vice-Chairman, Sir, many of my friends who participated in the debate posed a volley of questions and I would have been happier if I were able to answer all those questions at present. One of the main points mentioned by many of my friends is whether this is a report based on a report by the Government of Madhya Pradesh. I say "yes", I have mentioned in the statement that it is based on the report sent by the Government of Madhya Pradesh.

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक एक बात पूछना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो? यह जो राज्य शासन ने रिपोर्ट दी है वह जिला कलैक्टर दुर्ग के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर है या अन्य किसी और के आधार पर है? क्योंकि जो मायने रखती है वह जिला कलैक्टर की रिपोर्ट मायने रखती है । यह न तो वहां के टाउन इंस्पैक्टर की रखती है, न एस०पी० की रखती है, न आई०जी० की रखती है, क्योंकि पुलिस ने तो जुल्म ढाया ही है । अगर यह पुलिस अधिकारी के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट है तो वह रिपोर्ट भी बेमानी है ।

SHRI M. M. JACOB: Sir, the practice existing with the Government of India is that we write to the State Government for a report on the incident which has happened and the State Government is responsible to send a report and we expect from the State Government a report. It is not clear from the records available here whether they collected the information from the Inspector or the Zilla Collector. (*Interruptions by Shri Suresh Pachouri*). Many of the points asked by you now are yet to be

[Shri M. M. Jacob]

answered by, or are yet to be obtained from, the Madhya Pradesh Government. So, I shall certainly convey those points which are not already covered by the report furnished by them to the Government of Madhya Pradesh and to bring to their notice the major points raised in this discussion this evening. Sir, one thing, I mentioned in the statement that the number of people who died is 15. Later on I came to know, through our sources, that the number is 15 plus one police personnel which makes 16. It is the information I got through another source. But I cannot say anything beyond that because I don't have any information about the numbers, 17 or 18, which were mentioned here. However, the State Government has informed that a judicial inquiry has been ordered under the Commissions of Inquiry Act. My friends were also enquiring about the terms of reference of the judicial inquiry and who is heading the judicial inquiry. Shri Srivastava, District and Sessions Judge, Raipur, M.P., is to inquire into the aforesaid matter. It is a single member....

PROF. SAURIN BHATTACHARYA: What is Mr. Srivastava?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Why is a District Judge? Why not a High Court Judge?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Let the Minister clarify.

SHRI M. M. JACOB: I am just reading out the information the State Government has furnished us. "The State Government hereby appoints the Commission of Inquiry consisting of a single member, namely, Shri Srivastava, District and Sessions Judge, Raipur, Madhya Pradesh to enquire into the aforesaid matters of public importance. The headquarters of the Commission will be at Durg." Now, the time given to this Inquiry Commision is three months from the date of the publication.

SHRI S. S. AHLUWALIA: I would like to know whether they have suspended the Divisional Commissioner.

SHRI M. M. JACOB: No information is furnished on that. The terms of reference are also mentioned. They are the circumstances, background, course of events leading to police firing at Bhilai near Power House railway station, district Durg, on 1st July, 1992, whether the firing resorted to by police was justified, adequacy or otherwise of the force used to deal with the situation and such other matters incidental and ancillary to the inquiry including recommendations for prevention of recurrence of such events in future.

A question was raised as to how many rounds of firing took place. The State Government's reply is 42 rounds of firing took place. This is the report of the State Government. Then another question was asked whether it was a demand of the workers that the killers of Shanker Guha Nyogi should be arrested and what action has been taken. The State Government has not mentioned this demand in its report. But our sources have got some information that this was one of the main demands of the workers. That is the information which I could gather. This was the main demand of the workers. Another question was raised as to how many workers were retrenched. The State Government report says, according to the owner's management the number of retrenched employees as quoted by Unions earlier was 2300. But later they quoted the number of retrenched employees as 4000. So, 4000 from one side and 2300 on other is the number which is furnished to us. It must be somewhere around these figures. I cannot give the exact number. It is a fact that in Bhilai, as you know, it being an industrial area, the working class people are in great force, in numerical force. Sixty thousand people are employed in Bhilai Steel Plant. There are some captive iron

ore mines owned by the BSP. Maybe, around 20,000 to 22,000 workers are employed there. It seems from the information gathered that these workers who are making this agitation are people who are emp'oyed in the captive units. Mr. Gurudas Das Gupta mut be knowing it because one of the unions other than the CMM working in that area may be belonging to him. The INTUC unit is also working in that particular area. So, not Bhilai, INTUC is, I think, the major factor with a large number of workers. But here I see that out of 180 units functioning there, around 10 units belong to larger managements and some of them are believed to be very powerful, important managements. There was a demand for a full inquiry into the killing of Shanker Guha Nyogi in September, 1991. Now the matter is under the CBI investigation. So, I may not be able to give more information about it. But I understand that Mr. Chandrakant Shah, the owner of one major firm was arrested. But he has escaped from the custody. This is not known from the State Government report. We have got this information from another source. I don't know whether he has been caught. So far I have no information whether the man who has escaped has been arrested. (*Interruptions*).

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: He has escaped from the hospital. He is hale and hearty... (*Interruptions*).

SHRI M. M. JACOB: Anyway. I don't know; I have to find out more details about it. I have to find out more information about it. What I mean to say is, even on facts like this I may not be able to give you exact and precise points in the absence of the relevant information from the State Government. At the same time in whatever way I could help the House by collecting the information from the State Government I have done it. There are many other points raised here. I have made a note of all the points made by the hon. Members. I have not left out any major point ... (*Interruptions*)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the hon. Minister respond to the suggestion of sending and all-party delegation there to actually verify the situation?

SHRI M. M. JACOB: A couple of Members, Mr. Ahluwalia and Mr. Gurudas Das Gupta mentioned about sending a Parliamentary delegation. At this point of time I may not be able to commit that I will send a Parliamentary delegation or agree to send a Parliamentary delegation. But the suggestion will be considered. That is all I can say now. Mr. Baby asked a question whether from the Bhilai hospital workers were forced to go out. I have no information about any worker who was forcibly asked to go out of the hospital. About the point that dead bodies were burnt *en-masse*, it is a matter that can only be presumed. I have no information on this point. Since the cremation took place only on 3rd July, I understand some dead bodies were returned to their families and the rest of them were cremated collectively. This may not be so and it would not be correct on my part to say anything. There was another question asked whether any Central Minister visited the area and provoked the workers. The State Government of Madhya Pradesh has not mentioned any Central Minister having visited the place and provoking the workers. Mr. Ram Naresh Yadav had asked a question whether the judge was a sitting judge of the Supreme Court; I have already made it clear. Mr. Jogi made a lot of points about one Mr. Chandrakant Shah. I had just now referred to that. Mr. Bhattacharya wanted to know whether the judge was a sitting judge of the Supreme Court. The matter is under investigation by a Commission of Inquiry now... (*Interruptions*)...

SHRI RAM NARESH YADAV: What about financial assistance?

SHRI M. M. JACOB: I have already referred to it in the statement. Rs. 12,000 is being given by the State Government. Rs. 10,000 is being given by the State administration and Rs. 2000 by the District Administration to the people who were injured. Beyond this I may not be able to give you any information. At the same time, as I promised you, we will convey the feelings of the House to the State Government. But I feel that since this is a dispute between the workers and the management, it is always desirable that negotiations and negotiated settlements receive priority. Resorting to any sort of other method may not help in the development of a health relationship between the workers and the management and also for our economic development. It is unfortunate that so many workers should have died in the police firing. I share the anguish expressed by the House for those people who lost their lives. I hope the Madhya Pradesh Government will take the initiatve to bring about an early settlement according to the normal rules existing in the country.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: While the hon. Minister says a negotiated settlement is the only path, why does he not in the same way believe that when there is resentment, so easy application of force should not also be the course?

SHRI M. M. JACOB: The trend is for negotiated settlement and this is our experience for the last so many years. Most of the Governments are encouraged to resort to negotiated settlements, tribunals, arbitration; so on and so forth. Resorting to the last method of firing is an extreme step and it is always better to restrain ourselves. But if the crowd is of a violent nature, it cannot be prevented and naturally the State has to take to the final resort of using violence. But only after the investigation, it can be revealed and an investigation is being carried on... (*Interruptions*)...

SHRI S. S. AHLUWALIA: It is a one-man enquiry commission. And he is a man*

SHRI M. M. JACOB: Sir, with this, I may be permitted to conclude. Thank you very much.

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं । इस बात का आभास बराबर मिल रहा है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिद की वजह से यह स्थिति निर्मित हुई कि वहां के मजदूरों पर गोलियां चलाई गई । इसलिए क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि वहां के मजदूरों की उचित मांगें हैं उनको पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार का भी एक प्रतिनिधि उस नेगोशिएशन में शामिल हो, ताकि श्रम विभाग की जो सिफारिशें हैं, उनको मद्दे नजर रखते हुए मजदूरों की सारी की सारी जो जायज मांगें हैं जिनका उल्लेख आपने अपने वक्तव्य में किया है, वह सही समय पर मान ली जाएं । साथ ही केन्द्रीय सरकार क्या यह भी व्यवस्था करेगी कि जो न्यायिक जांच करने के आदेश दिये गये है वह केवल एक सदस्यीय जांच अधिकारी की न होकर और भी दूसरे लोग उसमें शामिल हों, यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह और अनुरोध है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Today's business is over. Before we adjourn, I wish to say that it is a proud privilege of the Rajya Sabha to note that the Chairman of the Rajya Sabha has been elected as President of India.

The House stands adjourned till 11 o'clock tomorrow.

The House then adjourned at eight minutes past eight of the clock till eleven of the clock on Friday, the 17th July, 1992.

*Expunged as ordered by the Chair.